BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVI | 30th November 2015 | No. 18

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में पाँचवीं बार बिहार की बागडोर

माननीय मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को बिहार के समस्त उद्यमी एवं व्यवसायी बन्धुओं की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एवं अभिनन्दन।

हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा।

बिहार के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सद्प्रयासों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हर सम्भव सहयोग के लिए कृतसंकल्पित है।

ओ. पी. साह
अध्यक्ष

माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के उपमुख्यमंत्री का पद संभाला

युवा एवं ऊर्जावान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने 20 नवम्बर, 2015 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। माननीय उप मुख्यमंत्री के अधीन पथ निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण का विभाग है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को पूर्ण विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री की योग्यता एवं कुशलता का लाभ सम्पूर्ण राज्य को प्राप्त होगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज माननीय उप मुख्यमंत्री के सद्प्रयास में हर सम्भव सहयोग सहित उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

– ओ. पी. साह, अध्यक्ष

बिहार-मंत्रिमंडल

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक जनसमर्थन प्राप्त कर स्थानीय गाँधी मैदान में दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को पाँचवी बार मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित 28 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली।

	मंत्री		विभाग
1.	**श्री नीतीश कुमार** मुख्यमंत्री	:	सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सूचना एवं जन-सम्पर्क, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आबंटित नहीं हैं।
2.	**श्री तेजस्वी प्रसाद यादव** उप मुख्यमंत्री	:	पथ निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
3.	**श्री तेज प्रताप यादव**	:	स्वास्थ्य, लघु जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन
4.	**श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी**	:	वित्त
5.	**श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव**	:	ऊर्जा, वाणिज्य-कर
6.	**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह**	:	जल संसाधन, योजना एवं विकास
7.	**श्री अशोक चौधरी**	:	शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी
8.	**श्री श्रवण कुमार**	:	ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

यह हर्ष का विषय है कि राज्य की जनता ने श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्थाई सरकार हेतु अपना जनादेश दिया है।

अनुभवी, दूरदर्शी श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ कर लिया है। युवा एवं ऊर्जावान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राज्य के उप-मुख्यमंत्री नियुक्त किये गये हैं।

हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल जो अनुभवी, युवा एवं ऊर्जावान माननीय मंत्रियों के दिशा-निर्देशन में राज्य के उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

हम सभी व्यवसायी एवं उद्यमी भाईयों का यह कर्त्तव्य है कि नई सरकार को राज्य के विकास हेतु अपना पूर्ण सहयोग देकर राज्य को औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर करने में सहयोग करें। राज्य एवं केन्द्र सरकार का आगामी वार्षिक बजट हेतु आपका अपना सुझाव चैम्बर कार्यालय में यथाशीघ्र भेंजे।

आपका
ओ० पी० साह
अध्यक्ष

(पृष्ठ 1 का शेष)

9.	**श्री जय कुमार सिंह**	: उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी
10.	**श्री आलोक कुमार मेहता**	: सहकारिता
11.	**श्री चन्द्रिका राय**	: परिवहन
12.	**श्री अवधेश कुमार सिंह**	: पशु एवं मत्स्य संसाधन
13.	**श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा**	: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विधि
14.	**श्री महेश्वर हजारी**	: नगर विकास एवं आवास
15.	**श्री अब्दुल जलील मस्तान**	: निबन्धन, उत्पाद एवं मद्य निषेध
16.	**श्री राम विचार राय**	: कृषि
17.	**श्री शिवचन्द्र राम**	: कला, संस्कृति एवं युवा
18.	**श्री डॉ० मदन मोहन झा**	: राजस्व एवं भूमि सुधार
19.	**श्री शैलेश कुमार**	: ग्रामीण कार्य
20.	**श्री संतोष कुमार निराला**	: अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण
21.	**श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा**	: समाज कल्याण
22.	**श्री डॉ० अब्दुल गफूर**	: अल्प-संख्यक कल्याण
23.	**श्री चन्द्र शेखर**	: आपदा प्रबन्धन
24.	**श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद**	: गन्ना उद्योग
25.	**श्री मुनेश्वर चौधरी**	: खान एवं भूतत्व
26.	**श्री मदन सहनी**	: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
27.	**श्री कपिल देव कामत**	: पंचायती राज
28.	**श्रीमती अनिता देवी**	: पर्यटन
29.	**श्री विजय प्रकाश**	: श्रम संसाधन

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बधाई दी

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पुष्पगुच्छ देकर बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 26 नवम्बर 2015 को अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिला एवं उन्हें एक बार पुन: राज्य की बागडोर संभालने के लिए हार्दिक बधाई दी।

प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री शशि मोहन सम्मिलित थे ।

प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से एक अभिनन्दन समारोह के लिए समय देने का अनुरोध किया जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस संबंध में वे तिथि निर्धारित कर सूचना देंगे।

राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी हर्षित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने एक बार पुन: माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को प्रान्त के मुखिया का पदभार ग्रहण करने पर राज्य के समस्त उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से हार्दिक बधाई दी है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने प्रेस विज्ञप्ति में माननीय श्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक शुभकामना देते हुए आशा व्यक्त की है कि उनके जैसे योग्य, कुशल, अनुभवी एवं दूरदर्शी व्यक्ति के नेतृत्व का लाभ संपूर्ण राज्य को प्राप्त हेगा एवं प्रान्त समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।

श्री साह ने माननीय मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री तेज प्रताप यादव, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री ललन सिंह, श्री श्रवण कुमार, श्री अशोक चौधरी सहित सभी माननीय मंत्रियों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राज्य के औद्योगिक विकास में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का पूर्ण सहयोग देने के निश्चय को दोहराया।

चैम्बर अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य के आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण की गति में और तेजी आएगी। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूर्व की भाँति बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपना हर संभव सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उर्जा मंत्री को बधाई दी

माननीय उर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को पुष्पगुच्छ भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बाँयी तरफ उपाध्यक्ष श्री मधुकरनाथ बरेरिया तथा दाँयी तरफ कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल तथा पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह के नेतृत्व में माननीय उर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव से मिला और उन्हें उर्जा मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मधुकरनाथ बरेरिया एवं श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री शशि मोहन सम्मिलित थे।

प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उर्जा मंत्री से विद्युत संबंधी समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु चैम्बर में पधारने का आग्रह किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

इसके पूर्व चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी एवं माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह से मिलकर उन्हें बधाई दी एवं चैम्बर आने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय शामिल थे।

नए कारोबार के लिए आधार अनिवार्य नहीं

सरकार ने कहा है कि उद्यमियों के लिए एक नया कारोबार पंजीकृत कराने के वास्ते आधार संख्या अनिवार्य नहीं है।

सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कुटीर, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि हमने कारोबारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। ऐसी खबरें आई थीं कि नए कारोबार के पंजीकरण के लिए आधार संख्या अनिवार्य है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आधार संख्या अनिवार्य नहीं है। उद्यमशीलता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान करने और कारोबार में सुगमता को प्रोत्साहन करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने सितम्बर में एक नया एक पन्ने का पंजीकरण फार्म उद्योग आधार जारी किया, जिसे सभी कुटीर, लघु व मध्यम उद्यमों द्वारा भरा जाना है।

मिश्र ने कहा कि उद्योग आधार के तहत अभी तक 48,000 से अधिक उद्यमी ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं और यह संख्या बढ़ रही है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 19.11.2015)**

स्टार्ट अप पॉलिसी बनाने के लिए कंसल्टेंट की खोज शुरू

• चेयरमैन को सलाह देंगे कंसल्टेंट • मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में भी है स्टार्ट अप योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर विभागों में काम शुरू हो गया है। उद्योग विभाग ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। राज्य में नए उद्यमियों के लिए वातावरण बने, इसे लेकर सरकार गंभीर है। उद्योग विभाग ने स्टार्ट अप योजना को मूर्त रूप देने के लिए स्टार्ट अप पॉलिसी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिक सूची में है। पॉलिसी बनाने के लिए कंसल्टेंट की सेवा भी ली जाएगी। विभाग ने कंसल्टेंट बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में एक निश्चय राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार करना है। राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता कौशल किस तरह से विकसित किया जाए और इसके लिए किस तरह का वातावरण जरूरी है, इसको स्टार्ट अप पॉलिसी में परिभाषित किया जाएगा। स्टार्ट अप नीति को सफल बनाने के लिए प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसके लिए विशेष कंसल्टेंट की सेवा भी ली जाएगी। कंसल्टेंट अध्यक्ष को परामर्श देंगे। देश में सबसे पहले कर्नाटक में स्टार्ट अप योजना बनाई गई है। और इसी तर्ज पर बिहार में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। स्टार्ट अप पॉलिसी में इंक्यूबेटर, इनोवेटिव स्टार्ट अप सपोर्ट, फैसिलेटर्स सेंटर और एंजेल और वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करने की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग विभाग के सूत्र बताते हैं कि कंसल्टेंट नियुक्ति करने के लिए विभाग ने देश के बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है। अनुभवी कंसल्टेंट और कंसल्टेंट फर्मों का चयन किया जाएगा। **(दैनिक भास्कर, 17.11.2015)**

नई सिंगल विंडो व्यवस्था लाएगी बिहार सरकार

बिहार सरकार इस साल के अंत तक अपनी नई सिंगल विंडो व्यवस्था को पेश करने की तैयारी कर रही है। उद्योग विभाग ने इस नई व्यवस्था को इंटरनेट आधारित बनाने का फैसला लिया है, ताकि निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए राज्य सरकार ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) की मदद ले रही है।

विभाग के मुताबिक इसके तहत अब उद्योग से जुड़े सभी विभागों को आईटी से जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत एक नया आईटी नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो इंटरनेट से जुड़ा होगा। उन्होंने बताया, 'इसके तहत अब सभी आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इसके बाद आवेदनों को तुरंत संबंधित विभागों के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर आवेदनों को मंजूर नहीं किया गया, तो इस बारे में तुरंत जिलाधिकारी, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री के पास ईमेल जाएगा। साथ ही, अधिकारियों के कंप्यूटर पर इस बारे में सूचना भी लगातार दिखाई जाएगी। इसके अलावा, आवेदन के नामंजूर होने के स्थिति में अधिकारियों को इस बारे में कारणों का विस्तार से विवरण भी देना होगा।' अधिकारियों के मुताबिक इस नई व्यवस्था के आने के बाद आवेदनों का एक समय-सीमा में निपटारा होने के साथ-साथ उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों से मुक्ति भी मिलेगी।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.11.2015)

कोल्ड स्टोरेज में उद्यमियों ने दिखायी रुचि

पिछले 10 वर्षों से बिहार में कोल्ड स्टोरेज खोलने की गति पर ब्रेक लग गया था। अब, जब उद्योग विभाग ने नया कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए कई तरह की छूट देना शुरू किया, तब इसमें गति आयी है। पाँच वर्षों में 12 कोल्ड स्टोरेज खुले हैं। उद्योग विभाग ने खुले हाथों नया कोल्ड स्टोरेज खोलने वालों को अनुदान भी दिये हैं।

पांच वर्षों में कहाँ खुले कोल्ड स्टोरेज

जिला	कोल्ड स्टोरेज	लागत
समस्तीपुर	मोहन कोल्ड स्टोरेज	103.86 लाख
समस्तीपुर	राजाराम कोल्ड स्टोरेज	120.78 लाख
समस्तीपुर	सिमरी कोल्ड स्टोरेज	201.90 लाख
समस्तीपुर	किसान कोल्ड स्टोरेज	379.30 लाख
समस्तीपुर	जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज	331.26 लाख
समस्तीपुर	राजाराम कोल्ड स्टोरेज	120.78 लाख
बैशाली	बैद्यनाथ कोल्ड स्टोरेज	292.69 लाख
बेगूसराय	भवानी कोल्ड स्टोरेज	310.90 लाख
बेगूसराय	मुसारी कोल्ड स्टोरेज	194.88 लाख
बेगूसराय	विनोद कोल्ड स्टोरेज	166.18 लाख
आरा	सकलदीप कोल्ड स्टोरेज	293.54 लाख
आरा	इसराइल कोल्ड स्टोरेज	99.43 लाख

(विस्तृत : प्रभात खबर, 16.11.2015)

एमएसएमई ने पेश किया प्रौद्योगिकी अधिग्रहण व विकास कोष

सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र को स्वच्छ प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण व विकास कोष (टीएडीएफ) पेश किया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना एमएसएमई क्षेत्र की विनिर्माण वृद्धि के लिए बनाई गई है। इससे एमएसएमई क्षेत्र 'मेक इन इंडिया' पहल में योगदान कर सकेगा। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत यह कोष सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे एमएसएमई द्वारा स्वच्छ व हरित प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण में मदद मिलेगी और ऐसे में उचित मूल्य पर प्रौद्योगिकी अंतर को पाटा जा सकेगा। प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष समर्थन के तहत उद्योग द्वारा 50 फीसद प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क की वापसी या 20 लाख रुपए जो भी कम है, के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।

पेटेंट पूल के रास्ते प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए अप्रत्यक्ष समर्थन के तहत दुनिया भर से प्रौद्योगिकी या पेटेंट के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चुनी गई कंपनियों को प्रौद्योगिकी या पेटेंट का लाइसेंस आपसी सहमति वाले मूल्य पर किया जाएगा। ये कंपनियां आपसी सहमति वाले मूल्य के 50 फीसद या 20 लाख रुपए तक की सबसिडी पा सकेंगी।

(साभार : जनसत्ता, 20.11.2015)

महिला उद्यमियों के उत्पाद अब सीधे ग्लोबल बाजार में

ई-कॉमर्स पोर्टल पर बिकेंगे उद्यमियों के उत्पाद

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ऑनलाइन पोर्टल से करार करने जा रही है। स्टार्ट-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत महिला उद्यमियों के उत्पाद आसानी से बाजार उपलब्ध कराने के लिए यह करार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ई-कॉमर्स का कारोबार करने वाले पोर्टलों से समझौते करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लगभग एक दर्जन ऑनलाइन कंपनियों के नाम लिस्ट में शामिल हैं और इनमें से ही अंतिम चयन करना है।

बिहार को लाभ : राज्य सरकार भी हैंडलूम बाजार, पटना हाट जैसे प्रयास से महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की है। परंतु फिजीकल प्रेजेंस की तुलना में ई-कामर्स का कैनवास चूंकि कई गुना अधिक बड़ा है इसलिए बिहार की महिला उद्यमियों को इससे बड़ी उम्मीद है। गौरतलब है कि केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय इस वर्ष ऑनलाइन बिक्री के लिए पहले भी ई-पोर्टल पर आंत्रप्रेन्योर को लाने का प्रयास कर चुका है। लेकिन इसका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाया। इसी कारण अब सरकार ने उन कंपनियों के रास्ते बाजार जुगाड़ने की कोशिश की है जो पहले से ई-कामर्स बाजार में मजबूत दखल रखते हैं। अगर महिला उद्यमियों को केंद्रित कर बाजार का लाभ अंतिम उत्पादकों तक पहुंचाने का सरकार का यह प्रयास सफल होता है तो बिहार के करीब 5200 महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। इसके बाद करीब 3,00,000 महिलाएं अपनी आजीविका से उपर उठकर उद्यमिता को आर्थिक सफल दिशा दे पाएंगी।

कैसे करेगा काम : मंत्रालय और ई-कॉमर्स कंपनियां करार के तहत विज्ञापन देगी। महिला उद्यमियों को इससे जुड़ने के लिए दिआधारी कांट्रेक्ट करनी होगी जिसका प्रोसेस बहुत आसान रहेगा। इसके बाद महिला उद्यमी अपने हस्तशिल्प, फैशन, परिधान, खाद्य पदार्थ, मखाना, अचार, टोकरी जैसी सामग्री सीधे पोर्टल के माध्यम से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में सफल होंगी।

यह बिकेगा : मिथिला पेंटिंग, पैटर्न और डिजाइनर क्लौदिंग, अचार, मुरब्बा समेत पारंपरिक खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, बांस के डिजाइनर उत्पाद।

(साभार : दैनिक भास्कर, 21.11.2015)

बिजली 20 से 50 फीसदी महंगी करने का प्रस्ताव

बिजली और महंगी हो सकती है। पावर होल्डिंग कंपनी ने विभिन्न स्लैबों में 20 से 50 फीसदी बिजली महंगी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर पावर होल्डिंग कंपनी के साथ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों की बैठक में मुहर लगेगी। हालांकि यह तय है कि कंपनी हर हाल में बिजली शुल्क बढ़ाने के पक्ष में है और इसी आधार पर रेगुलेटरी कमीशन को भी प्रस्ताव दिया जाएगा। नई दर अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी।

दर बढ़ाने पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण बिजली कंपनी 15 नवम्बर को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के पास नए टैरिफ का प्रस्ताव पेश भी नहीं कर सकी थी। बिजली कंपनी द्वारा नए टैरिफ का प्रस्ताव मिलने के बाद विनियामक आयोग राज्य के विभित्र प्रमंडलों में जाकर आमलोगों के बीच सुनवाई करेगी। इसके बाद ही बिजली शुल्क वृद्धि पर अंतिम फैसला होगा। नया टैरिफ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के लिए प्रभावी होगा। आयोग ने पिछले साल शहरी क्षेत्र में 15 पैसे प्रति युनिट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढोतरी की थी।

शहरी घरेलू : वर्तमान दर – • 1-100 यूनिट - 3.00 रुपए प्रति यूनिट • 101 से 200 यूनिट- 3.65 रुपए प्रति यूनिट • 201 से 300 यूनिट - 4.35 रुपए प्रति यूनिट • 301 यूनिट से उपर - 5.45 रुपए प्रति यूनिट।

(साभार : दैनिक भास्कर, 19.11.2015)

ट्रांसमिशन ग्रिडों का होगा जीर्णोद्धार

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ट्रांसमिशन सेक्टर की कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इसके तहत पहले से बने ग्रिडों में पावर ट्रांसफॉर्मर, कंट्रोल व रीले पैनल, ब्रेकर सहित अन्य उपकरण लगाए जाने हैं। इन उपकरणों को स्थापित करने से पहले यह जरूरी है कि 35-40 साल पहले बनी पुरानी ग्रिडों का कायाकल्प हो। इसी सोच के तहत पुरानी ग्रिडों में नियंत्रण कक्ष का भवन, आवासीय परिसर, चहारदीवारी, ग्रिड के भीतर की सड़क या पहुंचपथ, पेयजल सुविधा आदि का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया है। शुरूआती चरण में ग्रिड सब-स्टेशनों का नियंत्रण कक्ष मरम्मत हो। साथ ही वहाँ के आवासीय भवन, विश्राम गृह, पहुंच पथ, पेयजल या जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर हो। बुनियादी सुविधाओं के खराब होने पर ग्रिड में अगलगी या अन्य तरह की घटनाएं होते रहती हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.11.2015)**

बाढ़ थर्मल की दूसरी यूनिट बिजली उत्पादन को तैयार

एनटीपीसी की बाढ़ थर्मल पावर की दूसरी यूनिट बिजली उत्पादन के लिए लगभग तैयार है। स्टेज दो की दूसरी यूनिट 660 मेगावाट की है। इससे बिहार को 424 मेगावाट बिजली मिलनी है। बाढ थर्मल पावर यूनिट को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) बना रहा है। स्टेज दो में 660 मेगावाट की दो यूनिट हैं। पहली यूनिट से 15 नवम्बर 2014 से बिजली का उत्पादन हो रहा है। मार्च 2015 तक दूसरी यूनिट शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन, पहली यूनिट की तरह ही दूसरी यूनिट में भी ट्यूब लिकेज सहित अन्य तकनीकी बाधा आ गई। इसे ठीक करने में छह महीने से अधिक समय लग गए। युनिट लाइट अप के चरण में आ चुका है। अब इसे लगातार तीन दिन चलाने की कोशिश होगी। 72 घंटे तक यूनिट से लगातार बिजली उत्पादन होने के बाद इसे व्यावसायिक उत्पादन के योग्य घोषित कर दिया जाएगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.11.2015)**

'उदय' से उबरेगी बिजली

भयंकर कर्ज में डूबी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को कर्ज से निजात दिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बड़ी योजना लागू कर दी है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नाम की इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बकाया बैंकिंग कर्ज के बड़े हिस्से का बोझ राज्य सरकारें उठाएंगी। इसके बदले राज्यों की तरफ से बांड जारी किए जाएंगे। पैकेज यह भी सुनिश्चित करेगा कि हर घर में स्मार्ट मीटर लगे और बिजली की पूरी कीमत ग्राहकों से वसूली जाए।

कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राज्यों की डिस्कॉम पर बैंकों का लगभग 4.3 लाख करोड़ रूपये का कर्ज है। यह कर्ज ही बिजली क्षेत्र की मौजूदा सारी समस्याओं की जड़ में है। ज्यादा कर्ज होने की वजह से ये कंपनियां नई बिजली नहीं खरीद रही हैं। इससे ग्राहकों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिक्री नहीं होने की वजह से पावर प्लांट ने बिजली उत्पादन घटा दिया है। पहले के कर्ज फंस जाने की वजह से बैंक बिजली कंपनियों को नया लोन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगले पाँच वर्षों में हर घर को चौबीसों घंटे बिजली देने की सरकारी योजना पर भी सवाल उठ रहे थे। उदय के जरिये बिजली वितरण कंपनियां वर्ष 2018-19 तक कर्ज मुक्त हो सकेंगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.11.2015)**

सौर ऊर्जा से रोशन होंगे 81 स्टेशन

पूर्व मध्य रेल के 81 स्टेशन अब बिजली के बजाय सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। योजना पर अमल शुरू हो गया है। 51 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। शेष 30 स्टेशनों पर कुछ दिनों में काम शुरू होगा। वहीं पूर्व मध्य रेल के 13 स्टेशन ऐसे है जिन्हें ग्रीन स्टेशन की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। इन स्टेशनों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।

स्टेशनों के बाद पूर्व मध्य रेल के कॉलोनियों को भी सौर उर्जा से रोशन करने की योजना है। इसके साथ ही 525 रेलवे क्रॉसिंग पर भी सोलर पैनल लगाया जाना है। इसमें से 116 पर काम चल रहा है।

बिजली खपत कम करने की पहल : ऊर्जा संरक्षण को लेकर पूर्व मध्य रेल सक्रिय है। रेल अधिकारियों की मानें तो इसका उद्देश्य है नई तकनीक से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर बिजली की खपत को कम किया जाना। इसके तहत पूर्व मध्य रेल ने 500 किलोवाट पीक का दो सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। इसमें से एक पैनल पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक के कार्यालय के छतों पर और दूसरा पैनल दानापुर मंडल के रेल प्रबंधक के दफ्तर के छतों पर लगाए जाएंगे।

ये हैं दानापुर मंडल के ग्रीन स्टेशन : कन्हाईपुर, चंपापुर, सालिमपुर, बिहारशरीफ, बड़हिया एवं वीर कुंवर सिंह स्टेशन, दनियावां हॉल्ट, नियाजीपुर सहित कई अन्य स्टेशनों और हॉल्ट पर बिजली की जगह सोलर ऊर्जा का ही प्रयोग किया जा रहा है।

जिन स्टेंशनों पर कम उर्जा की जरूरत होती है पहले वहाँ सोलर पेनल लगाए जा रहे हैं। बाद में अन्य स्टेशनों पर भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। इस एनर्जी का इस्तेमाल रोशनी सहित अन्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा।
– अरविन्द कुमार रजक, मुख्य जन संपर्क अधिकारी, पूर्व मध्य रेल

(साभार : दैनिक जागरण, 16.11.2015)

चोरी रोकने पर ही बिजली सुधार का फायदा

केन्द्र सरकार ने बिजली सुधार का भारी-भरकम पैकेज लागू किया है। इसका फायदा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों को तभी मिलेगा जब यहाँ बिजली की चोरी पर काफी हद तक लगाम लग सकेगा। केन्द्र की तरफ से तैयार बिजली सुधार की इन स्कीमों को लागू करने की वजह से इन राज्यों समेत आठ सूबों में अगले दो वर्षों के भीतर बिजली की दरों में 1.40 रुपये प्रति यूनिट तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।

बिजली सुधार पर राजग सरकार की नीति की समीक्षा करते हुए घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि इसे सही तरीके से लागू करने पर राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की हानि में 50 फीसद तक कमी हो सकती है।

बिहार में बढ़ेगी ज्यादा दर : सबसे ज्यादा हानि में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाड, हरियाणा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बिजली की दरो में 1.40 रुपये प्रति यूनिट तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। इन आठों राज्यों में अभी बिजली की लागत के मुकाबले दरें 1.40 रुपये प्रति यूनिट तक कम हैं। बिजली सुधार के एजेंडे के मुताबिक केन्द्र की स्कीम को स्वीकार करने वाले राज्यों को बिजली की दरों को नियमित अंतराल पर बढाना होगा। इसके बाद ही उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी। बिजली की दर निर्धारित करने के लिए हर तीन महीने पर केन्द्र व राज्यों की बैठक का प्रावधान है। **(दैनिक जागरण, 7.11.2015)**

फ्रेंचाइजी कंपनियों से मांगा गया 5 साल का प्लान

बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए अब फ्रेंचाईजी कंपनियों को बताना होगा कि वे अगले पाँच सालों में कौन सा काम करेंगी। यह आदेश बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी के साथ ही फ्रेंचाइजी ले रखी एजेंसियों को दिया है। राज्य के तीन शहरों गया, भगलपुर व मुजफ्फरपुर में प्रेंचाइजी की बिजली आपूर्ति व्यवस्था निजी एजेंसी संभाल रही है।

दरअसल, बिजली कंपनी की ओर से जब भी विनियामक आयोग के समक्ष कोई जानकारी दी जाती थी। इन तीनों शहरों में उपभोक्ताओं के लिए क्या किया जा रहा है, निजी एजेंसियों ने फ्रेंचाइजी लेने के बाद अब तक क्या किया, इसकी कोई सूचना आयोग को नहीं मिल रही थी। आयोग जब कंपनी के अधिकारियों को तलब करता तो वे फ्रेंचाइजी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जबकि, इन तीनों शहरों के उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बिजली व्यवस्था में कई गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे थे। मुजफ्फरपुर की व्यवस्था एस्सेल पावर, गया का इंडिया पावर तो भागलपुर की व्यवस्था बीईडीसीपीएल संभाल रही है।

आयोग ने कंपनी व फ्रेंचाइजी को आदेश दिया है कि वह इन तीनों शहरों की पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराए। तीनों शहरों में फ्रेंचाइजी की ओर से क्या काम किया जाना है, कितनी राशि खर्च होगी, अगले पांच साल का पूरा हिसाब आयोग ने मांगा है। आयोग ने फ्रेंचाइजी को कहा है कि वह बताए कि उपभोक्ताओं के हित में मौजूदा व्यवस्था से और कौन-कौन काम करने वाला है। आयोग की मंशा है कि फ्रेंचाइजी वाले शहरों में भी लोगों को बेहतर बिजली व्यवस्था मिले और निजी एजेंसियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.11.2015)

मानव अपशिष्ट से रोशन हो सकते हैं 13.8 करोड़ घर

मानव अपशिष्ट से पैदा होने वाली जैविक गैस हर साल इतनी बिजली पैदा कर सकती है जिससे दुनिया के 13.8 करोड़ घर रोशन हो जाएं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर वॉटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के विशेषज्ञों ने एक विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। उनके मुताबिक पुरी दुनिया अब भी मानव अपशिष्ट में ईंधन पैदा करने की छिपी क्षमता को अनदेखा कर रही है। इसके इस्तेमाल से ईंधन के लिए होने वाला पेड़ों की कटाई और बिजली उत्पादन के लिए कोयले की खपत कम करने में भी मदद मिलेगी।

जगमग होंगे तीन देश : विशेषज्ञों की मानें तो मानव अपशिष्ट से तैयार जैविक गैस से सालाना 20 लाख टन चारकोल का उत्पादन मुमकिन है। इतनी मात्रा में उपलब्ध चारकोल से लाखों टन बिजली पैदा हो सकती है जो इंडोनेशिया, ब्राजील और इथोपिया जैसे तीन देशों के सभी घरों को रोशन करने की कूव्वत रखती है। साथ ही बिजली उत्पादन के लिए अन्य स्त्रोतों पर निर्भरता घटाकर कुल 646 अरब रुपये की बचत भी कर सकती है।

भारत में ज्यादा संभावनाएं : संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 2.4 अरब लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। इनमें से लगभग एक अरब यानी कि 60 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं। ये लोग खुले में शौच जाते हैं। अगर सिर्फ इसी अपशिष्ट की बात की जाए तो भी साल भर में 20 करोड़ डॉलर (लगभग 1,313 करोड़ रुपये) कीमत की जैविक गैस पैदा की जा सकती है। यह 10 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली आपूर्ति करने के लिए काफी साबित हो सकती है।

जैविक गैस एक तरह का अक्षय ऊर्जा स्रोत : जैविक गैस कुछ ऐसी गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवों की सक्रियता से उत्पन्न होती हैं। इनमें मुख्य रूप से मीथेन (लगभग 60 प्रतिशत) शामिल है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही जैविक गैस भी अक्षय ऊर्जा स्रोत है। यह कचरे और जानवरों के अपशिष्ट से भी पैदा की जा सकती है।

अंधेरे में आबादी: • 1.12 लाख किलो वॉट बिजली उत्पादन हुआ भारत में 2014-15 के दौरान • 30 करोड़ भारतीय बिना बिजली के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं फिलहाल • 60 फीसदी बिजली का उत्पादन कोयला से, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल महज 12 फीसदी ही। **(हिन्दुस्तान, 16.11.2015)**

अब दो महीने में दूर होगी आयकर संबंधी शिकायत

इसके लिए हर क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनेगी

आपकी आयकर संबंधी शिकायतें दो महीने में दूर हो जाएंगी। इसके लिए सरकार ने आयकर विभाग से हर क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की एक-एक कमेटी बनाने को कहा है। यह कमेटी दिसम्बर के मध्य से काम करने लगेगी। इसके पास जो भी शिकायतें आएंगी, यह उन्हें दो महीने में निपटाएगी। अगर कोई करदाता कर आकलन अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, या अगर उसे टैक्स डिमांड ज्यादा लग रही है तो वह इस कमेटी के सामने याचिका दे सकता है। कमेटी में शामिल अधिकारी देखेंगे कि क्या टैक्स डिमांड ज्यादा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं हुआ या आकलन अधिकारी की तरफ से लापरवाही तो नहीं हुई है? अगर समिति को लगता है कि आकलन अधिकारी का आदेश अनुचित है या टैक्स डिमांड ज्यादा है तो यह वह अपने रेंज के वरिष्ठतम अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद वह अधिकारी उचित आदेश जारी करेगा। अभी अगर करदाता आकलन अधिकारी के आदेश से नाखुश है तो उसे पहले कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। इसके बाद इन्कम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट जाता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि ये समितियां वैकल्पिक या अतिरिक्त अपीली ट्रिब्यूनल के तौर पर काम नहीं करेंगी। बल्कि इनके गठन का मकसद करदाताओं की जायज शिकायतों को दूर कर मुकदमेबाजी कम करना है।

सीबीडीटी का कहना है कि कर अधिकारियों में अनुचित और ज्यादा टैक्स डिमांड की प्रवृत्ति अब भी बनी हुई है। इससे करदाताओं की शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 19.11.2015)**

TAX ROAD MAP UNVEILED

The Narendra Modi government announced a roadmap for phasing out a raft of tax deductions and other incentives extended to India Inc that is linked to its broader plan to bring down the corporate tax rate from 30 per cent at present to 25 per cent over the next four years. The Central Board for Direct Taxes (CBDT) sought stake-holders' views on its proposal to phase out several profit-linked, investment-linked, and area-based deductions for both corporate and non-corporate taxpayers.

SLAMMING THE LID ON TAX BREAKS

Income Tax Clouse	What does it related to	The Proposal	Who does it impact
Section 32	Accelerated depreciation	Bring down the depreciation rate from 100% to 60%	Owners of buildings for water supply projects, air pollution control equipment, solid waste control equipment, salt works, flour mill rollers, energy saving devices, waste heat recovery equipment.
Section 35AD	Higher weighted deduction	Scrap a higher weighted deduction of 150% for some sectors	Cold chains, agri warehousing, affordable housing, fertiliser
Section 35AC	Deduction for social, economic uplift projects	100%deduction to be phased out from FY 2017-18	Companies that donate funds to NGOs for social projects
Section 35	Scientific research	Deduction to be capped at 100% from FY 2017-18. Currently, at 200% in some cases	Pharmaceuticals, companies that finance scientific research
Section 80 IA, 80, IAB, 10AA, 80-IB	Infra facilities, SEZs,exports from SEZs, coal bed methane projects,mineral oil blocks	Sunset date of March 31, 2017 for start up of project to qualify for tax break	Pressure on all these sectors to race against time to complete these projects
Section 35 CCC, 35CCD	Agriculture extension projects, skill development projects	150% tax deduction to be reduced to 100%	Companies that fund agri, skill development projects

Details : Telegraph 21.11.2015

पैनकार्ड व टीडीएस मिलान के बाद ही मिलेगा रिफंड

गलत ढंग से आयकर रिफंड लेने पर रोक लागने को इनकमटैक्स विभाग ने कमर कस ली है। रिफंड भुगतान के पहले पैनकार्ड व टीडीएस का मिलान किया जाएगा। रिफंड भुगतान के लिए पहले ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

आयकरदाता के फार्म 16 के पैन नंबर व ऑफिस में जमा पैनकार्ड से मिलान किया जाएगा। कई आयकरदाता अपने आयकर रिटर्न व ऑफिस रिकॉर्ड में अलग-अलग पैन नंबर जमा करते थे ताकि वे जालसाजी कर रिफंड का भुगतान ले सकें। अगर रिटर्न व ऑफिस रिकॉर्ड में पैनकार्ड अलग-अलग होंगे तो रिफंड नहीं होगा। वहीं आयकर वापसी में ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अगर आयकरदाता को 50 रुपए भी रिफंड मिल रहा है, तो वह ऑनलाइन रिटर्न अवश्य दाखिल करें। मैनुअल रिटर्न दाखिल में रिफंड देने में विभाग को काफी वक्त लग जाता था। इसलिए रिफंड भुगतान नियमित करने के लिए ऑनलाइन रिटर्न अनिवार्य किया गया है।

हाल के दिनों में गया सहित कई शहरों में रिफंड भुगतान में गड़बड़ी उजागर हुई है, जिसके मद्देनजर विभाग ने रिफंड भुगतान में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। फर्जी पैनकार्ड के सहारे करोडों रुपए का भुगतान हो गया। जांच के दौरान विभाग को जानकारी मिली है कि दूसरे के पैन नंबर के सहारे जालसाजों ने करीब छह करोड़ फर्जी रिफंड का भुगतान ले लिया। **(हिन्दुस्तान, 22.11.2015)**

कर-सलाह

प्र. 1. - मेरे पास एक मकान है जो सन 2001 में बैंक से लोन लेकर बनाया था। इस मकान में मेरा परिवार है। इस मकान को मैंने स्वयं के रहने के लिए रखा हुआ है। इस पर देय होम लोन के ब्याज की छूट भी ले रहा हूँ। अभी मैंने एक दूसरे मकान का निर्माण कराया है जिसके लिए बैंक से 25 लाख रुपये का लोन लिया है। इस लोन पर 1 लाख 20 हजार रुपये सालाना ब्याज दे रहा हूँ इस मकान से मुझे 1 लाख 80हजार रुपये किराये की आय भी हो रही है। अब मैं इन दोनों मकान पर ब्याज की छूट कैसे प्राप्त कर सकता हूँ।

उ. - आपको आयकर की धारा 24 के तहत दोनों मकान पर ब्याज की छूट प्राप्त हो सकती है। पहले मकान पर आप छूट जैसे ले रहे हैं, लेते रहें। दूसरे मकान पर जो किराया आपको प्राप्त हो रही है उसे आप की अपनी आय में सम्मिलित करें जो कि 1 लाख 80 हजार रुपये है। इस आय में से 30 प्रतिशत वैधानिक छूट कम करें। कम करने पर जो शेष बचता है उसमें आप अपने देय ब्याज को कम करते हुए यह छूट प्राप्त कर सकते हैं। किराये पर दिए हुए मकान पर देय ब्याज की कोई सीमा लागू नहीं होती।

प्र. 2. - आयकर में बैंक द्वारा देय ब्याज को ही आईटीआर- 1 में दर्शाना है। या बैंक द्वारा दिए गए अर्जित ब्याज को भी जोड़ कर दिखाना है। मेरी शंका यह है कि जो ब्याज कर निर्धारण वर्ष में मिलता है बैंक इस देय ब्याज पर ही टीडीएस काटता है जो 26 एएस पर दर्शाता है और इसी अनुसार आईटीआर में दिखा दिया जाता है। यदि बैंक का अर्जित ब्याज आईटीआर में दिखा दिया गया तो इस पर कर देय होगा। इस प्रकार से एक ही ब्याज पर दो बार कर जमा हो जाएगा।

उ. आपकी शंका ठीक नहीं है। कारण बैंक अर्जित ब्याज पर ही टीडीएस काटता है। नियमानुसार आयकर संबंधित वर्ष की संपूर्ण अर्जित आय पर देय होता है चाहे वह प्राप्त हुई हो या नहीं।

प्र. 3. – मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तथा कानपुर में कार्यरत हूँ। कानपुर में मेरा निवास अपनी माताजी के घर पर है जिसका मे मासिक किराया उन्हें देता हूँ। यह मकान मेरी माताजी के नाम रजिस्टर्ड है। अभी मैंने एक मकान मथुरा में खरीदने के लिए होम लोन लिया है। यह मकान मेरे व मेरी माताजी के नाम से रजिस्टर्ड कराया है। इसके लोन का मासिक भुगतान मैं ही कर रहा हूँ। क्या मैं कानपुर में अपनी वेतन की आय में से किराये का लाभ व मथुरा के मकान पर देय ब्याज का लाभ, दोनों ले सकता हूँ।

उ. – आपकी नियुक्ति कानपुर में है अत: वहाँ माताजी को देय किराये पर मकान भत्ते का लाभ आयकर की धारा 10 की उपधारा 13 ए के तहत ले सकते हैं। दूसरा, आपने मकान मथुरा में खरीदा है इस कारण उस मकान को स्वयं के रहने हेतु दिखाकर उस पर ब्याज का लाभ ले सकते हैं। **(हिन्दुस्तान, 16.11.2015)**

प्र. 4. – मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं स्वयं के मकान में रहता हूँ। मुझे 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है। मुझे किस प्रकार से मकान किराया भत्ता में छूट प्राप्त होगा?

उ. – मकान किराया भत्ता के लिए यह आवश्यक है कि आप किराये के मकान में रहें। चूकि आप अपने मकान में रहते हैं इसलिए आपको मकान किराये भत्ते का लाभ नहीं मिल सकता।

प्र. 5. – क्या में हिन्दू अविभाजित परिवार के अन्तर्गत कमीशन की आय प्राप्त कर सकता हूँ। मैं एलआईसी का सब एजेंट हूँ तथा उससे कमीशन की आय प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे अपने एजेंट से कमीशन पर टीडीएस काट कर भुगतान प्राप्त हो रहा है।

उ. – यदि आप एलआईसी एजेंट का कार्य हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में कर रहे हैं तो कमीशन की आय को परिवार की आय में मान सकते हैं।

प्र. 6. – मैंने मार्च 2010 में एलआईसी की पेंशन प्लान ली थी जो वर्ष 2020 में परिपक्व होनी थी। मैंने इस प्लान में 10 हजार रुपये सालाना के हिसाब से 5 साल के 50 हजार रुपये जमा किये हैं लेकिन किसी कारण से मुझे वर्ष 2015 के अन्दर ही इसे सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करने पर मुझे 55, 200 रुपये प्राप्त हुए हैं। क्या यह प्राप्त रुपये मेरी कर योग्य आय में जोड़े जाएंगे या प्राप्त राशि कर मुक्त होगी।

उ. – आयकर की धारा 80 सीसीसी के तरह यदि आप परिपक्वता अवधि से पूर्व ही पेंशन प्लान को सरेंडर करके पैसे वापस लेते हैं तो सरेंडर राशि को आपकी कर योग्य आय में जोड़ी जाएगी। कारण कि इस राशि पर आप पूर्व में कर छूट प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए आपके संदर्भ में 55, 200 रुपये कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में कर योग्य होंगे।

प्र. 7. – मैं अपनी बहन को पाँच लाख रुपये उपहार में देना चाहता हूँ। क्या इस उपहार पर मुझे या बहन को कोई उपहार कर अदा करना होगा?

उ. – भाई द्वारा बहन को दिए गए उपहार पर कोई कर देय नहीं होता। इस संबंध में दस्तावेज के तहत आप कोई भी लिखित प्रपत्र सादे या 10 रुपये के स्टांप पेपर पर तैयार कर अपने पास रख लें।

प्र. 8. – मुझे एक मकान वर्ष 1998 में नोएडा अथॉरिटी से अलॉट हुआ था। बाद में इस मकान को मैंने अपने बेटे की पत्नी के नाम बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित कर दिया। बेटे की पत्नी ने इस मकान को 18,000 रुपये मासिक किराये पर दे दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किराये की आय किस की आय होगी।

उ.– आपने अपना मकान पुत्रवधू को बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित किया है इसलिए इस मकान से जो भी आय प्राप्त होगी वह आयकर की धारा 64 के तहत आपकी आय होगी ने कि पुत्रवधू की। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.11.15)**

राजगीर में बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस

राजगीर में सूबे का पहला स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 612 करोड रुपये खर्च किये जाएंगे। सरकार इसके निर्माण को गंभीरता से ले रही है। दो साल में इसका निर्माण कार्य पूरा करने की योजना है। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के भवन निर्माण के पहले इसे बना लिया जाना है। युवा, कला व संस्कृति विभाग ने इसका खाका तैयार किया है। नई दिल्ली की आरकोपाल नामक एजेंसी डिजाइन बना रही है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.11.2015)**

महंगी कार व फ्लैट खरीदने वालों को आयकर नोटिस

महंगे फ्लैट व गाड़ी खरीदने वालों पर आयकर विभाग की नजर है। खरीदारों को नोटिस भेजी जा रही है। इनकम टैक्स इस तथ्य को खंगालने में जुटा है कि खरीद के लिए पैसे कहां से आए। अगर वाहन मालिक ने बैंक से लोन लिया है तो उसकी अदायगी (किस्त) का भी लेखा-जोखा देना होगा।

यह भी जांच हो रही है कि महंगी गाड़ी खरीदने वालों की वार्षिक आय कितनी है और वे आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। इनकमटैक्स ने जिला परिवहन कार्यालयों से महंगी गाड़ियों की सूची मंगवाई है। पांच लाख से अधिक कीमत की गड़ियों का ब्योरा मंगाया गया है। **(हिन्दुस्तान, 16.11.2015)**

सेस का भार ढीला करेगा आम लोगों की जेब

05-10 रुपए की वृद्धि हुई पटना से विभिन्न शहरों के रेल किराए में

केन्द्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान सेस के तहत सेवा कर में की गई 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण लोगों की जेब ढीली होनी शुरू हो गई। इससे न सिर्फ रेल एवं हवाई जहाज का किराया महंगा हो गया, बल्कि मोबाइल बिल, रेस्टूरेंट, कोचिंग, होटल में ठहरना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, परिवहन, मकान निर्माण एवं विज्ञापन समेत 120 सेवाएं महंगी हो गई। यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत के सेवाकर के अतिरिक्त है। उपकर से प्राप्त आय विशेष रूप से स्वच्छ भारत की पहल के लिए इस्तेमाल होगा।

राजेन्द्र नगर से नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति

संपूर्ण क्रांति

	3 एसी	2 एसी	1 एसी
पहले	1310	1880	3205
अब	1315	1885	3210

राजधानी एक्सप्रेस

	3 एसी	2 एसी	1 एसी
पहले	1640	2270	3810
अब	1640	2275	3815

सामान्य बीमा

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रेट

प्राइवेट कार	पुराना रेट	नया रेट
1000 सीसी	1845	1853
1500 सीसी	1993	2001
1500 से अधिक	5792	5818
दो चक्का वाहन		
150 सीसी तक	670	673
350 सीसी तक	689	692

रेस्टूरेंट : पहले रेस्टूरेंट में भोजन करने पर 5.6 प्रतिशत सर्विस टैक्स लगता था वह अब बढ़कर 5.8 प्रतिशत लगेगा। अभी तक 100 रुपए के भोजन पर 40 प्रतिशत कीमत में 14 प्रतिशत सेवा कर लगता था। यानी 100 रुपए के भोजन पर पहले 5.60 रुपए सर्विस टैक्स लगता था अब वह 5.80 रुपए लगेगा।

मोबाइल शुल्क : 100 रुपए के मोबाइल रिचार्ज पर 14 रुपए सर्विस टैक्स लगता था वह अब 14.5 रुपए लगेंगे।

ट्रोसपोर्टेशन : खाद्य सामग्री को छोड़कर सभी प्रकार के माल भाड़े में वृद्धि • **दिल्ली से पटना :** • पहले 4.60 रुपए प्रतिकिलो अब 4.65 रुपए प्रतिकिलो • **दिल्ली से पटना का ट्रक भाड़ा :** • 10 चक्का (55 हजार) • 12 चक्का (70 हजार) **साभार : हिन्दुस्तान, 16.11.2015**

ई- वॉलेट से दिग्गज बैंक घबराए, भुगतान रोका

ऑनलाइन खरीदारी और बिल भुगतान में ई-वॉलेट की बढ़ती लोकप्रियता बैंकों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इससे घबराए कुछ बड़े बैंकों ने वॉलेट से होने वाला भुगतान रोक दिया है। इस कड़ी में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने पेटीएम और ऑक्सीजन का और सिटी बैंक ने ऑक्सीजन का भुगतान रोका है।

क्या है ई-वॉलेट : यह एक तरह का मोबाइल एप है। बैंक खाता से ऑनलाइन या डेबिट- क्रेडिट कार्ड से राशि जमा करनी पड़ती है। इसके जरिये ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल-डीटीएच रिचार्ज, बिजली, पानी और फोन बिल का भुगतान भी किया जा सकता है।

क्यों किया इनकार : पेटीएम को संदेश भेजकर एसबीआई ने कहा कि वह और उसके सहयोगी बैंक कंपनी के ई-वॉलेट में राशि जमा करने की सुविधा अब नहीं देंगे। इसी तरह एसबीआई और सिटी बैंक ने ऑक्सीजन वॉलेट में भी राशि जमा करने की सुविधा खत्म कर दी है।

परेशानी की वजह : ई-वॉलेट से बैंकों को लेन-देन कारोबार पर खतरा लग रहा है। आईएफएमआर के बिन्दू अनंत का कहना है कि मोबाइल वॉलेट कंपनियां एप के जरिये बैंक खाता की स्थिति जानने के साथ ऑनलाइन राशि जमा करने व लेन-देन की सुविधा दे रही हैं।

क्या कहते हैं बैंक : आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि ऑक्सीजन वॉलेट में किसी खास स्थिति में ही राशि जमा करने से मना किया जाता है। बैंक ने कहा है कि ऐसा तभी किया जाता है जब लेन-देन संदिग्ध लगता है। एसबीआई ने इस मामले में ई-मेल, मैसेज और फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.11.2015)**

कैश डिपोजिट मशीन से पैसा जमा करने पर एसबीआइ काट रहा पैसा

भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक इन दिनों काफी परेशान हैं। मामला यह है कि ग्राहकों का पैसा बिना सूचना के काटा जा रहा है। बैंक के ग्राहक कैश डिपोजिट मशीन से पैसा जमा कर रहे हैं, तो उनके खाते से न्यूनतम 25 रूपये काट लिया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी कारणों से ऐसा हुआ है। लेकिन यह परेशानी ग्राहकों के साथ हर दिन हो रही है।

कुछ भी क्लियर नहीं : इस मामले में कुछ भी क्लियर नहीं है। बैंक शाखा में न तो इससे संबंधित कोई सर्कुलर ही भेजा गया है और न शाखाओं को कोई जानकारी ही है। इससे जुड़े वरीय अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हालांकि बैंक खाते से पैसा काटे जाने की शिकायत मिलने पर बैंक शाखा इसे लौटा जरूर रहे हैं। लेकिन फिर भी यह परेशानी नहीं थम रही है। हर दिन बैंक ग्राहक इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इसकी कई शिकायतें मिल रही हैं।

बैंक शाखाओं में मिलेगा एक रुपये का नया नोट : काफी सालों के बाद बैंक शाखाओं में एक बार फिर से एक रुपये का नया नोट मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए बैंकों को नया नोट उपलब्ध करा दिया है। संभावना है कि चार से पांच दिनों में बैंक से ग्राहकों को मिलने लगेगा। आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक, बिहार-झारखंड मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि एक रुपये का नया नोट बैंकों से ग्राहक ले सकेंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 13.11.2015)**

पाँच सौ और हजार के नए नोट आएंगे

रिजर्व बैंक (आर बी आई) जल्द ही पांच सौ रुपए और हजार रुपए के नए नोट जारी करेगा। इन नोटों में नंबर वाली पट्टी पर अंग्रेजी का एल अक्षर होगा।

केंद्रीय बैंक ने जारी बयान में बताया कि इन पर मुद्रण का वर्ष 2015 लिखा होगा तथा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर रघुराम राजन के हस्ताक्षर होंगे साथ ही इन पर सामने की तरफ पहचान के निशान ज्यादा उभरे होंगे, लिखे गए नंबर तथा ब्लीड लाइन का आकार बड़ा होगा। ये नोट महात्मा गांधी सीरीज-2005 में जारी किए जाएंगे तथा अन्य मानकों एवं डिजायन में सीरीज के पहले जारी समान मूल्य के नोटो जैसे ही होंगे। आर बीआई ने बताया कि इन नोटों के जारी होने के बाद भी पांच सौ रुपए तथा हजार रुपए के पुराने नोट पूरी तरह वैध होंगे। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 17.11.2015)**

एजुकेशन लोन देने में रवैया बदले बैंक

सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न स्कीम चला रही है। रोजगार से जुड़े व्यावसायिक शिक्षा कोर्स में गरीब व जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई व प्रशिक्षण के लिए बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बिहार में एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने में 27 बैंकों का प्रदर्शन बेहद लचर है। इसका खुलासा हाल में वित्त विभाग की तिमाही समीक्षा में हुआ है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों ने ऋण पर चर्चा के लिए दस्तावेज रखा था उसमें भी विसंगति थी। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के पहले आठ महीने में बैंकों ने अपने सालाना लक्ष्य के मुकाबले मात्र 15 प्रतिशत स्टूडेंट्स को ही ऋण मुहैया कराई है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए खास तौर पर शुरू किए गए भारतीय महिला बैंक ने तो अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में मात्र दो फीसदी छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कर्ज दिया है।

दस्तोवेजों में नहीं दी जानकारी : इस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताते हुए बैंकों को हिदायत दी है कि शिक्षा ऋण देने में नरमी बरती गई तो बैकों में सरकारी धन जमा नहीं होंगे। सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया गया था। ऋण दिए जाने के संबंध में कोई जानकारी दस्तावेज में नहीं दी गई थी।

67 फीसदी छात्रों को ही ऋण : अधिकारी के अनुसार बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी बिहार में व्यावसायिक शिक्षा पर ऋण देने में कोताही बरती थी। पिछले साल 67 फीसदी छात्रों को ऋण दिया गया था। यानि बैंकों ने 5,940 छात्रों को 7.23 करोड़ ऋण दिया था। इस वर्ष बैंकों ने 15 फीसदी छात्रों को ऋण देने का दावा किया है, लेकिन उन लाभार्थियों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है। वैसे बैंकों ने पूरे वित्तीय वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 12.8 करोड़ रुपये का लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा है। केन्द्र सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम के मद्देनजर कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण को काफी बढ़ावा दे रही है।

पहले क्या होता था : शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी ने बनाया कि सरकार की सलाह पर आइटीआइ और वोकेशनल डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों के लिए बैंकों ने कुछ समय पहले इस योजना की शुरुआत की थी। इससे पहले एजुकेशन लोन के तहत सिर्फ तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए ही लोन दिया जाता था। ऐसे में बैंकों के रवैये से जरूरतमंद गरीब छात्रों को परेशानी का सामना हो रहा है। साथ ही केन्द्र सरकार की कौशल विकास योजना पर भी रोड ब्लॉक बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के कड़े रूख के बाद आशा की जा रही है कि बैक अंतिम तिमाही में अपना रवैया बदलेंगे।

(साभार : आई नेक्स्ट, 15.11.2015)

सख्त होंगे उपभोक्ताओं के संरक्षण के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक वित्तीय उपभोक्ताओं को घोटालों, पोंजी योजनाओं और इस तरह की धोखाधड़ी से संरक्षण के लिए नियमों को सख्त करने पर काम कर रहा है। ऐसे नियम चालू वित्त वर्ष के आखिर तक लागू हो सकते हैं।

दिल्ली आर्थिक सम्मेलन में राजन ने कहा, 'हम उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए नियम बनाने पर बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसे इस साल के अंत तक लागू किया जा सकता है।' शिक्षा ऋण के भुगतान न होने की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राजन ने कहा कि इन मामलों से लचीले तरीके से निपटा जाना चाहिए और अगर उधारी लेने वाला बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है तो उसे स्वत: स्फूर्त छूट जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे खराब कर्ज हैं। इसमें पिछले कुछ साल से बढ़ोतरी हो रही है।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.11.2015)**

पीएम मोदी ने लॉन्च की तीन गोल्ड स्कीम्स

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भौतिक रूप में सोने की डिमांड को कम करने और देश में बिना उपयोग के पड़े 20,000 टन सोने को यूज में लाने के लिए तीन स्कीम्स लॉन्च की इसमें गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरिन गोल्ड स्कीम के अलावा सोने का सिक्का भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन योजनाओं को महिला सशाक्तिकरण को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के पास कुछ नहीं होता। मकान है तो पति के नाम, गाड़ी है तो बेटे के नाम लेकिन सोना एक ऐसा है जो महिला का होता है। ये उसकी संपत्ति होती है और इस पर कोई सवाल नहीं करता।

गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम

मकसद क्या : गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत घरों में रखे गोल्ड या जूलरी को बैको में जमा कर सकते हैं।

अवधि : गोल्ड को आप बैंकों में 1 से 3 साल, 5 से 7 साल या फिर 12 से 15 साल के लिए भी जमा कर सकते है।

ब्याज : सोना जमा करने पर मध्यम अवधि में 2.25 परसेंट का ब्याज मिलेगा। 5-7 साल के लिए बैंक में सोना जमा रखने पर आपको 2.25 परसेंट का ब्याज मिलेगा। यह ब्याज दरें फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए लागू होंगी।

कितना सोना कराना होगा जमा : कम से कम 30 ग्राम खरा सोना जमा कराना जरूरी होगा। अधिकतम की कोई सीमा नहीं होगी।

सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड

गोल्ड बॉन्ड 2 से 500 ग्राम के होंगे। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए इश्यू प्राइस 2, 684 रुपए प्रति ग्राम तय कर दिया गया है, यानी इसी रेट से गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी की जा सकेगी।

कौन खरीद सकेगा: इन बॉन्ड्स को भारतीय नागरिक, हिन्दू संयुक्त परिवार ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टिट्यूट्स खरीद सकते हैं।

ब्याज : गोल्ड बॉन्ड्स पर 2.75 परसेंट का सालाना ब्याज मिलेगा।

किस्तों में जारी : गोल्ड बॉन्ड के लिए आवेदन 5 से 20 नवम्बर 2015 के बीच स्वीकार किए जाएंगे। 26 नवम्बर को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत यह पहली किस्त है और इसके बाद अगली किस्त की तारीख बाद में तय की जाएगी।

अवधि : गोल्ड बॉन्ड की अवधि 8 साल के लिए होगी। इसमें 5 साल में निकलने का विकल्प भी रहेगा। मेच्योरिटी पीरियड से पहले निकलने पर इस पर ब्याज तय करने का अधिकार बैंक को होगा।

पेमेंट ऑप्शन: इन बॉन्ड्स का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कैश पेमेंट, चेक या ड्रॉफ्ट के जरिए किया जा सकेगा।

कहाँ मिलेंगे : गोल्ड बॉन्ड सरकारी बैंकों और पोस्ट ऑफिसेज के माध्यम से बेचे जाएंगे। किन बैंकों और किन पोस्ट ऑफिसों के जरिए इनको खरीदा जा सकेगा, सरकार इसको नोटिफाई करेगी।

ब्याज पर टैक्स लगेगा: गोल्ड बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए केवाईसी की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। साथ में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन नंबर या पासपोर्ट में कोई एक दस्तावेज देना होगा।

सिक्के लॉन्च हुए : गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्के को लॉन्च किया। इनके एक तरफ अशोक चक्र बना होगा। इन सिक्कों की बिक्री एमएमटीसी के जरिए होगी और धनतेरस से यह आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। अभी तक बैंक सिर्फ स्विस सर्टिफाइड सिक्के ही बेचते थे। सिक्के दो साइज में होंगे जिसमें 5 ग्राम का छोटा और 10 ग्राम का बड़ा होगा। इनके अलावा 20 ग्राम की एक गोल्ड बार भी सरकार लाएगी। ये सरकारी कंपनी एमएमटीसी की खास दुकानों पर ही मिलेंगे। 5 ग्राम के कुछ 15 हजार सिक्के, 10 ग्राम के 20 हजार सिक्के और 20 ग्राम की 3,750 बार ही बेची जाएंगी।

"देश में 20 हजार टन सोना पड़ा है लेकिन हम सही यूज नहीं कर पाते शायद इसलिए हमारा देश गरीब है। **– नरेन्द्र मोदी,** प्रधानमंत्री

(साभार : आई नेक्स्ट, 6.11.2015)

लोगों को नहीं लुभा पा रहीं केन्द्र सरकार की गोल्ड स्कीमें

केन्द्र सरकार की इस महीने शुरू हुई गोल्ड स्कीमों में देश की जनता ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। आलम यह है कि 'गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम' के तहत 15 दिन में सिर्फ 400 ग्राम सोना जमा हुआ है। 20 नवम्बर से बंद होने वाली सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए सरकार को महज 145 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन मिली है। सरकार ने अशोक चक्र के निशान वाले कुल 38,750 सोने के सिक्के और बिस्कुट बेचने की स्कीम बनाई थी। मगर इसमें से अभी तक करीब 6,200 सिक्के ही बिक पाए हैं। पब्लिक के बेहद ठंडे रिस्पॉन्स को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इन स्कीमों को लेकर 15 दिन के अंदर तीसरी बार बैठक बुलाई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स से मुलाकात के बाद बताया गया कि गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के तहत सिर्फ 400 ग्राम सोना ही जमा हुआ है। सरकार योजना की समीक्षा करने और सोने की जांच व बैंक में उसे जमा कराने के लिए सेंटर्स की संख्या बढाने पर सहमत हो गई है। फिलहाल, देश में योजना के लिए 29 टेस्टिंग सेंटर और 4 रिफाइनरी है। इनकी संख्या इस साल के अंत तक बढ़ाकर क्रमश 55 और 20 कराने का टारगेट रखा गया है।

इसलिए मिल रहा ठंडा रिस्पॉन्स : • गोल्ड स्कीमों को जल्दबाजी में शुरू किया जाना • टेस्टिंग सेंटर, बैंक और सरकार में तालमेल की कमी • स्कीम के प्रति लोगों को कम जानकारी होना • पब्लिक में सोने के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होना • मैच्योरिटी पर टैक्स लगने से भी दिलचस्पी घटी।

मार्च - 2016 तक 15 हजार करोड़ का टारगेट : सरकार की सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के जरिए मार्च 2016 तक 15, 000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मौजूदा ऑफर 5 नवम्बर को खुला था। इस ऑफर के तहत लोग 145 करोड़ के गोल्ड खरीदे है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए 2, 684 रुपए प्रति ग्राम की दर तय की गई है। आठ साल की अवधि की इस स्कीम में 2.75 परसेंट का ब्याज दिया जाएगा। कम से कम दो ग्राम यूनिट में निवेश किया जा सकता है। एक साल में 500 ग्राम निवेश कर सकेंगे। **(आई नेक्स्ट, 21.11.2015)**

बैंक गारंटी के बिना भी मिलेगा आयातित सोने को मंजूरी

इंडोनेशिया से मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारतीय आभूषण निर्माताओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग को उनके माल को मंजूरी देने के लिए सरकार के ताजा परिपत्र का अनुकरण नहीं करने और मौजूदा नियमों का पालन करने को निर्देश दिया है।

आभूषण निर्माताओं की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, मौजूदा नियमों के तहत माल के अस्थायी आकलन के लिए लागू शूल्क का 20 प्रतिशत जमा किया जाना चाहिए। वहीं, पिछले महीने जारी परिपत्र में सीमा शुल्क विभाग को वस्तुओं को अस्थायी रूप से मंजूरी देने से पहले 100 प्रतिशत बैंक गारंटी लेने को कहा गया है। जस्टिस बदरदुरेज अहमद तथा जस्टिस संजीव सचदेव की पीठ ने अंतरिम आदेश में सीमा शुल्क अधिकारियों को इंडोनेशिया से सोने की खेप को कानून एवं विशेष रूप से सीमा शुल्क नियमन के तहत मंजूरी देने का निर्देश दिया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.11.2015)**

मुंगेर गंगा सेतु के लिए 2774 करोड़ की संशोधित योजना

केन्द्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए करीब 18 वर्ष से लंबित मुंगेर गंगा सेतु परिजोजना को अगले वर्ष के मध्य तक पूरा करने का फैसला किया है। इसके लिए 2774 करोड़ रुपये की संशोधित राशि की मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुंगेर में गंगा नदी पर बन रहे रेल सड़क पुल से संबंधित परियोजना को पूरा करने की मंजूरी प्रदान की गई। यह परियोजना राजग की पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। केन्द्रीय बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि बिहार के चुनाव नतीजों के बावजूद मोदी सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए उसने 18 साल पुरानी इस परियोजना को जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 19.11.2015)**

SOP PLAN FOR EXPORTS

Concerned over a continuous decline in exports, the government announced a 3 per cent interest subsidy scheme for exporters, which will have a financial implication of about Rs 2,700 crore.

The decision to help boost overseas shipments was taken at a meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) headed by Prime Minister Narendra Modi.

The CCEA has given its approval for "Interest Equalisation Scheme (earlier called Interest Subvention Scheme) on pre- and-post-shipment rupee export credit with effect from April 1, 2015 for five years", an official statement said.

The rate of interest equalisation will be 3 per cent, it said, adding that it would be evaluated after three years.

Financial implication of the proposed scheme is estimated to be in the range of Rs 2,500 crore to Rs 2,700 crore per year, it said.

It said the actual implication would depend on the level of exports and the claims filed by exporters with the banks.

Funds worth Rs 1,625 crore in the non-plan head of account are available under Demand of Grants for 2015-16 and would be made available to the Reserve Bank, it said.

The scheme would be available to all exports of micro, small

and medium enterprises (MSME) and 416 tariff lines. But it would not be available to merchant exporters.

"We believe that this will give a big boost to exports, particularly for the MSME sector, handicraft, agri-products and food processing," power minister Piyush Goyal said.

(Source : Telegraph 19.11.2015)

मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस होगा अवैध

यदि आपके पास भी मैनुअली यानि कागजी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइये। नये साल में यह लाइसेंस बिहार में भी अवैध हो जायेगा। जनवरी से ऐसे लाइसेंस दिखाने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह सब होगा आपकी नहीं, सरकार की गलती से, क्योंकि पटना सहित पूरे प्रदेश में स्मार्ट कार्ड वाला ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने से मिल नहीं रहा है। परिवहन विभाग ने विकल्प के तौर पर नये और रिन्युअल लाइसेंस को कागजी तौर पर ही देना गुरू कर दिया है, जो अभी भी जारी है। मैनुअल लाइसेंस बिहार के बाहर कहीं मान्य नहीं है।

हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। अनौपचारिक तौर पर यह जानकारी है कि दिसम्बर तक आपूर्ति होगी। पटना जिले में अब तक पौने दो लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड लाइसेंस का काम बैकलॉग है। समय बीतने पर विभाग ने एक्सटेंशन किया, तो फिर मैनुअल लाइसेंस मान्य होगा।

– सुरेंद्र झा, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना

(साभार : प्रभात खबर, 3.11.2015)

नकदी ऋण का कर उपचार

करदाता के खातों में पायी गई कोई जमा की राशि, जिसके लिए वह प्रकार या उसके स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण का प्रस्ताव नहीं करता है या कर अधिकारी करदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, आमतौर पर नगदी ऋण के रूप में कहा जाता है। इस भाग में आप नगदी ऋण के कर उपचार से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मूल प्रावधान

नगदी ऋण के कर उपचार से संबंधित प्रावधान धारा 68 में दिये गये हैं। धारा 68 के अनुसार, एक करदाता के खातों में पायी गई कोई जमा राशि, जिसके लिये वह प्रकार या उसके स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण का प्रस्ताव नहीं करता है या उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, मूलयांकन अधिकारी के विचार में संतोषजनक नहीं है, उस वर्ष के लिए करदाता की आय की रुप में कर प्रभारित हो सकता है।

एक करदाता के करीबी धारित कंपनी (अर्थात कंपनी नहीं जिसमें जनता काफी रुचि रखती है) होने के मामले में यदि ऐसे ऋण के योग में शेयर आवेदन धन शेयर पूंजी, शेयर किस्त या इस प्रकार की कोई राशि जो किसी भी नाम से जानी जाती है, राशि शामिल है तो इस प्रकार की कंपनी द्वारा प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण असंतुष्ट माना जायेगा, जब तक कि-

क) व्यक्ति, एक निवासी होते हुए इस प्रकार की कंपनी के खातों में इस प्रकार का जमा उसके नाम पर दर्ज है, उसके प्रकार और ऐसी की जमा की गई राशि के स्त्रोत के बारे में एक स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करता है, और

ख) मूल्यांकन अधिकारी के विचार में इस प्रकार का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया हो

शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, इत्यादि के उपरोक्त चर्चित प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि व्यक्ति जिसके नाम पर इस प्रकार की राशि दर्ज है, धारा 10 (23FB) के संदर्भितानुसार एक उद्यम पूंजी कंपनी है अथवा एक उद्यम पूंजी निधि है

धारा 68 के लागू होने के लिए संतुष्ट की जाने वाली शर्तें:

धारा 68 को पढ़ने से, निम्नलिखित शर्तें धारा 68 के लागू करने से आकर्षित करने के लिए निर्दिष्ट की जा सकती है:

1) निर्धारिती ने खातों को बनाये रखा है
2) वर्ष के दौरान एक राशि को करदाता ने अनुरक्षित खातों में राशि के ऋण को रखा।
3) करदाता ने खातों में पाये गये इस प्रकार के जमा के स्रोत ओर प्रकार के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या करदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट नहीं है।
4) यदि करदाता एक करीबी धारित कंपनी है और जमा की गई राशि में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर किस्त या इस प्रकार की कोई राशि जो किसी भी नाम से जानी जाती है, तो निहित है, तो इस प्रकार की कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं माना जायेगा, जब तक कि-
   क) व्यक्ति, निवासी होते हुए इस प्रकार की कंपनी के खातों की किताबों में इस प्रकार का जमा उनके नाम पर दर्ज है, उसके प्रकार और ऐसी जमा राशि के स्त्रोत के बारे में एक स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करता है, और
   ख) मूल्यांकन अधिकारी के विचार में इस प्रकार का स्पष्टीकारण संतोषजनक नहीं पाया गया है।
1) यदि उपरोक्त सभी शर्तें संन्तुष्ट है उस वर्ष के लिए करदाता की आय के रुप में जमा राशि कर को प्रभारित हो सकती है।
2) अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा

धारा 68 के तहत दिये गये नकदी ऋण के कर से संबंधित प्रावधानों से अलग, इसी तरह के प्रावधान कुछ अन्य मदों के संदर्भ में धारा 69, 69A 69B, 69C और 69D के तहत बनाये गये है। इस संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है।

संक्षिप्त अवलोकन

धारा 69 : अस्पष्टीकृत निवेश – जहाँ एक वर्ष में करदाता ने निवेश किया है जो बही खातों में दर्ज नहीं हैं, यदि कोई, उसके द्वारा आय के किसी स्त्रोत के लिये अनुरक्षित रखी गई है और वह प्रकार और निवेश के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है या उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से मूल्यांकन अधिकारी स्पष्ट नहीं है तब निवेश की राशि ऐसे वर्ष के लिये करदाता की आय मानी जा सकती है।

धारा 69A : अस्पष्टीकृत धन, इत्यादि – जहाँ किसी वर्ष में करदाता किसी धन सोना-चाँदी, जेवरात या अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और इस प्रकार का धन, सोना-चाँदी, जेवरात या अन्य मूल्यांकन वस्तु बही खाते में दर्ज नहीं है, यदि कोई हो, आय के किसी स्रोत के लिए उसके द्वारा अनुरक्षित रखी गयी और करदाता, धन, सोना-चाँदी, जेवरात या अन्य मूलयावान वस्तु के अधिगृहण के स्त्रोत और प्रकार के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, या उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण मूल्यावान अधिकारी के विचार में संतुष्ट नहीं है तब, धन और सोना-चाँदी, जेवरात अन्य मुल्यवान वस्तु का मूल्य इस प्रकार के वर्ष के लिए करदाता की आय मानी जा सकती है।

धारा 69B : निवेश इत्यादि की राशि का खुलाशा पूरी तरह से बही खातें में नहीं है – जहाँ किसी वर्ष में करदाता ने निवेश किया या किसी सोना-चाँदी, जेवरात या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया गया और मूल्यांकन अधिकारी ने पाया कि इस प्रकार के निवेश या इस प्रकार के

धारा 69C : अस्पष्टीकृत व्यय इत्यादि – यहाँ किसी वर्ष में करदाता कोई व्यय करता है और वह इस प्रकार के व्यय या इसके भाग के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता, या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तब प्रकार के खर्चे या इसके भाग की राशि, जैसा भी मामला हो, ऐसे वर्ष के लिए करदाता की आय के रुप में मानी जायेगी।

पूर्वकथित अस्पष्टीकृत व्यय जिसको धारा 69C के आधार पर करदाता की आय माना गया है, आय के किसी विषय के तहत कटौती की अनुमति नहीं होगी।

धारा 69D: हुंडी पर उधार ली गयी या पुन: चुकायी गयी राशि – जहाँ कोई राशि हुंडी पर उधार ली गयी है, या इसकी कोई देय राशि किसी व्यक्ति पुन: भुगतान की गई है अन्यथा एक बैंक में आहरित एक खाता देयी चेक के माध्यम से, के अलावा, उधार ली गयी या पुनर्भुगतान की गई राशि इस प्रकार की राशि उधार लेने वाले या पुनर्भुगतान करने वाले व्यक्ति की राशि के रुप में मानी जायेगी। यह जिस वर्ष में उधार लिया गया या पुनर्भुगतान किया गया, जैसा भी मामला हो, आय के रुप में मानी जायेगी।

बहरहाल यह ध्यान दिया जाए कि यदि कोई राशि एक हुंडी पर उधार ली गयी है तो धारा 69D के अनुसार द्वारा किसी व्यक्ति की आय के रुप में मानी गयी है तब, ऐसा व्यक्ति इसके पुनर्भुगतान पर इस प्रकार की राशि के संदर्भ में पुन: मूल्यांकन करने के योग्य नहीं होगा।

धाराओं 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D के आधार पर कर को प्रभारित राशि पर लागू करें:

धारा 115BBE के अनुसार जहाँ करदाता की कुल आय में धारा 68 धारा 69, धारा 69A धारा 69B या धारा 69C हेतु संदर्भित कोई आय शामिल है, आयकर देयता कुल की होगी-

क) 30 प्रतिशत की दर पर (अधिभार और उपकर जो भी लागू हो, को जोड़ते हुये) धारा 68, धारा 69, धारा 69A, धारा 69B या धारा 69C या धारा 69D हेतु संदर्भित आय पर आयकर गणना की गयी और

ख) उसकी अन्य आय (अर्थात, धारा 68, धारा 69, धारा 69A धारा 69B, धारा 69C और धारा 69D के अधीन आय के अलावा) पर इस प्रकार की आय पर जो भी दर लागू हो, पर देय आय कर की राशि।

धारा 115BBE आगे प्रदान करती है कि किसी व्यय या भत्ते के संदर्भ में कोई कटौती की अनुमति धारा 68 से 69D में सर्दर्भित उसकी आय की गणना करने में आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत करदाता को नहीं होगी।

इस प्रकार, करदाता धारा 68 से 69D पर कर को प्रभारित नगदी ऋण के विरुद्ध बुनियादी छूट सीमा के समायोजन के लाभ तथा अस्पष्टकृत व्यय के लिये जैसी किसी कटौती का दावा करने के लिये अर्ह नहीं है।

(साभार : टैक्स पत्रिका, अक्टूबर 2015)

कंपनी-कानूनी अनुपालनाएँ

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 उपधारा (4) के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को वार्षिक साधारण सभा की तिथि से 60 दिनों के भीतर वार्षिक रिटर्न की प्रति ई-फार्म MGT-7 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के समझ फाइल करना अनिवार्य है। हालांकि वितीय वर्ष 2013-14 तक वार्षिक रिटर्न (Annual Return) ई - फार्म 20 B में फाइल किया जाता था। उसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत् वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को फाइल करना अनिवार्य है। हालांकि 2014-15 से पूर्व कंपनी के वितीय विवरण ई-फार्म 23 AC/23 ACA के अतंर्गत फाइल किए जाते है।

वितीय वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित वितीय विवरण एवं वार्षिक विवरणी को रजिस्ट्रार को फाइल करने की अंतिम तिथि निम्न प्रकार है:-

I) कंपनी की वार्षिक विवरणी को रजिस्ट्रार (MCA) में दाखिल कराने की अंतिम तिथि- **वार्षिक सामान्य सभा से 60 दिनों के भीतर।**

II) कंपनी के अंकेक्षित वितीय विवरण को रजिस्ट्रार (MCA)में दाखिल की अंतिम तिथि- **वार्षिक सामान्य सभा से 30 दिनों के भीतर।**

यदि कंपनी द्वारा उपरोक्त समयावधि के भीतर वार्षिक विवरणी एवं अंकेक्षित वितीय विवरण दाखिल नहीं किए गए, तो कंपनी को ई-फार्म की सामान्य चालान फीस के अलावा अतिरिक्त चालान फीस का भुगतान करना होगा।

चालान एवं अतिरिक्त चालान फीस की दशा में-

ई-फार्म दाखिल कराने की फीस: -

अधिकृत अंशपूंजी	फीस
1) 1,00,000 से कम	रुपये 200
2) 1,00,000 से 4,99,000	रुपये 300
3) 5,00,000 से 24,99,000	रुपये 400
4) 25,00,000 से 99,99,000	रुपये 500
5) 1,00,00,000 से एवं अधिक	रुपये 600

11) बिना अंशपूंजी वाली कंपनी की दशा में ई- फार्म दाखिल कराने की फीस :- रु. 200

अतिरिक्त चालान के संबंध में प्रावधान निम्न प्रकार है:-

देरी की अवधि	अतिरिक्त फीस
1) 30 दिनों तक	सामान्य फीस का 2 गुना
2) 30 से अधिक परंतु 60 दिन तक	सामान्य फीस का 4 गुना
3) 60 से अधिक परंतु 90 दिन तक	सामान्य फीस का 6 गुना
4) 90 से अधिक परंतु 180 दिन तक	सामान्य फीस का 10 गुना
5) 180 दिनों से अधिक	सामान्य फीस का 12 गुना

कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय (MCA) द्वारा 25 सितम्बर 2015 को ई-फार्म AOC-4(अंकेक्षित वित्तीय विवरण जमा कराने के लिए) एवं MGT -7 (वार्षिक रिटर्न जमा कराने के लिए) जारी किए है।

MCA द्वारा जारी किए गए ई-फार्म के अंतर्गत वित्तीय विवरण 2014-15 से कंपनियों के संदर्भ में विस्तृत सूचना माँगी गयी है। जो कि पूर्व फार्म की तुलना में अधिक एवं विस्तृत है।

नए ई - फार्म MGT -7 के अंतर्गत मांगी गई अतिरिक्त जानकारियाँ :-

a) कंपनी का PAN
b) कंपनी के मुख्य व्यवसाय की जानकारी
c) सहायक, सूत्रधारी, सह-संस्था एवं एसोसिएट कंपनी की जानकारी
d) कंपनी के अंशों के हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी
e) कंपनी का टर्न ओवर एवं शुद्ध मूल्य (Net Worth)
f) सदस्यों की सभा एवं मण्डल सभा की संख्या, दिनांक, एवं उपस्थित सदस्यों / निदेशकों की संख्या
g) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी का मानदेय
h) केवल कंपनी सचिव (Practicing Company Secretary) द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर की अनिवार्यता

नए ई-फार्म AOC - 4 के अंतर्गत मांगी गई अतिरिक्त जानकारियाँ:-

a) 6 माँगों में वर्गीकत ई-फार्म
b) Corporate Social Responsibility (CSR)
c) संबंधित पक्ष व्यवहार (Related Party Transaction)

इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 के अतंर्गत कंपनियों के अंकेक्षित वित्तीय विवरण एवं वार्षिक विवरणी दाखिल कराने के संबध में कंपनी एवं पेशेवर के दायित्वों एवं सूचनाओं को विस्तृत किया गया है।

कार्पोरेट मामले के मत्रालय के द्वारा सामान्य परिपत्र क्रंमाक 10/2015, दिनांक 13/7/2015, के अतंर्गत MGT -7 एवं AOC -4 की दाखिल कराने की तिथि में बढ़ोत्तरी तथा अतिरिक्त चालान फीस के संबंध में निम्न छूट दी गई है। इसके अतंर्गत जिन कंपनियों की वार्षिक सामान्य सभा ई-फार्म जारी करने की तिथि से पूर्व ही हो चुकी है, उस दशा में ऐसी कंपनियों के लिए AOC -4 हेतु अक्टूबर 2015 एवं MGT -7 हेतु 30 नवम्बर 2015 तक अतिरिक्त फीस के प्रावधान के संबंध में छूट दे दी गई है। **(साभार : टैक्स पत्रिका, अक्टूबर- 2015)**

सीमित दायित्व साझेदारी

वर्तमान में नये व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु किस प्रकार की संस्था का निर्माण किया जाये, इस प्रश्न पर व्यवसायी अधिक विचार-विमर्श एवं समय व्यतीत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अतंर्गत नये दौर की शुरुआत की झलक इस संदर्भ में देखी जा सकती है। एक व्यवसायी के लिए निम्न में से किसी एक प्रकार की संस्था के अंतर्गत व्यापार करने के विकल्प है:-

1) प्राइवेट लि. कंपनी निर्माण करके व्यापार।
2) एकल व्यक्ति कंपनी द्वारा।
3) साझेदारी फर्म।
4) सीमित दायित्व साझेदारी फर्म।
5) व्यष्टि व्यापार।

परन्तु प्रश्न यह उठता है कि सस्था के लिए किस प्रारुप में व्यावसाय प्रारंभ किया जाना उचित है। उपरोक्त सभी प्रारुपों के विभिन्न विशेषताएँ एवं कमियाँ हैं। अधिकतर व्यवसायी साझेदारी फर्म के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले विकल्प का चुनाव करते हैं क्योंकि इसका निर्माण एवं संचालन बेहद आसान

है। साझेदारी फर्म में कानूनी अनुपालना बहुत कम होती है। परंतु साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात् फर्म का दायित्व सभी साझेदारी की व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़ा रहता है। इसके विपरीत निजी कंपनी उनके स्वामी का पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी में लगायी गयी पूंजी तक सीमित होता है। परंतु प्राइवेट कंपनी का निर्माण एवं कानूनी अनुपालना तुलानात्मक रुप से अधिक लागतपूर्ण एवं कठिन होता है।

इस प्रकार व्यावसाय प्रारुप की विशेषताएँ एवं कमियों के कारण सीमित दायित्व साझेदारी फर्म के अंतर्गत व्यवसाय करने संबंधी प्रावधान लागू किये गये। भारतीय सीमित साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बनायी गयी साझेदारी फर्म (LLP), कंपनी एवं साझेदारी फर्म की विशेषता से निहित है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म के सभी कानूनी अनुपालना एवं साधारण साझेदारी फर्म की तरह होती है परंतु LLP के अंतर्गत साझेदारों के दायित्व उनके द्वारा लगायी गयी पूँजी तक सीमित रहता है।

LLP की विशेषताएँ

1) LLP का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि फर्म में साझेदारों की पूंजी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ऋण लिया जा सकता है। ऋण लेने की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है फलस्वरूप संस्था को सुचारुरुप से संचालित करने हेतु व कोषों का उपयोगा सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

2) LLP एक कानूनी रुप से कृत्रिम व्यक्ति है अत: फर्म द्वारा स्वयम् के नाम से किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है।

3) LLP का निर्माण सरल एवं कम लागत में हो सकता है।

4) सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होता है।

5) पूँजी योगदान की न्यूनतम सीमा पर प्रतिबन्ध नहीं, यद्यपि वर्तमान में किसी भी प्रारुप में (कंपनी) न्यूनतम पूँजी का प्रतिबंध नहीं है।

6) LLP के लिए कम से कम दो साझेदार परंतु साझेदारों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

7) पृथक अस्तित्व - फर्म का अपने साझेदारों से अलग अस्तित्व होगा।

निष्कर्षत:

LLP एक वैकल्पिक कॉरपोरेट व्यापार वाहन है जो सीमित दायित्व के लोगो को प्रदान करता है एवं इसके साझेदारों को आपसी सहमति अनुबंध के आधार पर संख्या के आन्तरिक ढ़ॉचे के संचालन में लचीलेपन का अधिकार देता है। वर्तमान में नये उद्यमी/व्यावसायी के लिए सीमित दायित्व साझेदारी के अंतर्गत व्यापार करने का विकल्प उभर कर आ है। **(टैक्स पत्रिका, अक्टूबर- 2015)**

नीली क्रांति पर खर्च होंगे तीन हजार करोड़

सरकार नीली क्रांति को सफल बनाने और मत्स्य पालन के समेकित विकास एवं प्रबंधन पर 30 अरब रुपए व्यय करेगी।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मत्स्य पालन के सम्पूर्ण विकास के लिए इससे संबंधित सभी योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है। इससे मछली के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। नई व्यवस्था से सतत उत्पादन, जैव सुरक्षा एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीली क्रांति के तहत एक्वाकल्चर समेत अंतर्देशीय और समुद्री दोनों मात्स्यिकी संसाधनों से उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देश में मौजूद संसाधनों का समुचित उपयोग, एक्वाकल्चर में प्रजातियों का और प्रणलियों का विविधिकरण भी किया जाएगा। कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से मत्स्य कृषकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का आहवान करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को उत्साहपूर्वक जमीन पर बढ़ाएं। उन्होंने मत्स्य पालन को लेकर समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाने तथा अधिक से अधिक जगह पर प्रदर्शनी लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों की आजीविका मत्स्य से जुड़ी है और भारत विश्व में दूसरा बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। आजादी के बाद देश में मत्स्य उत्पादन में 11 गुनी वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में मत्स्य उत्पादन 7.5 लाख टन था, जो 2014-15 में बढ़कर 100 लाख टन से अधिक हो गया है। वर्ष 2014-15 में 33441 करोड़ रुपए का मत्स्य निर्यात किया गया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 22.11.2015)

दाल के बाद अब भात भी होगा मंहगा

गरीबों की थाली से दालों के गायब होने के बाद अब चावल की कीमतों में भी 'उबाल' आने की आशंका है। उद्योग मंडल एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भंडारण में कमी तथा खरीफ उत्पादन में संभावित गिरावट से चावल कीमतों में तेजी आ सकती है। हालांकि, यह रिपोर्ट बाजार में मौजूटा मूल्य से उलट है। बाजार में गैर-बासमती चावल की थोक कीमत पिछले साल की तुलना में 25 से 30 रुपये किलोग्राम नीचे चल रही है। व्यापारियों के अनुसार, इसी तरह प्रीमियम बासमती चावल की कीमत पिछले सीजन की तुलना में 30 प्रतिशत घट कर 44-45 रुपये किलोग्राम चल रही है। पिछले साल यह 62 से 65 रुपये किलोग्राम थी।

वहीं, एसोचैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि उचित उपाय नहीं किये गये, तो दालों, प्याज और सरसों तेल के बाद चावल के दाम उपभोक्ताओं को परेशान कर सकते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि आगामी महीनों में चावल कीमतों में उबाल आ सकता है।

सरकारी अनुमान के अनुसार, 2015-16 के फसल वर्ष में खरीफ चावल का उत्पादन 9.06 करोड़ टन रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में बारिश कम रहने से यह उत्पादन हासिल हो पाना संभव नहीं है। **(साभार : प्रभात खबर, 16.11.2015)**

दाल के थोक व्यापार को अब जारी होगा लाइसेंस

राजधानी सहित जिले में अब दाल के थोक व्यापार के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दाल एवं दलहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थोक भंडारण की सीमा 750 क्विंटल निर्धारित किया है। निर्धारित भंडारण सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

भंडारण क्षमता का देना होगा ब्योरा : बिहार खाद्य भंडार नियंत्रण अधिनियम के तहत दाल और दलहन के लिए अनुज्ञप्ति 30 सितम्बर 2016 तक प्रभावी रहेगा। दाल कारोबार के थोक लाइसेंस के लिए आवेदन पर गोदाम के भंडारण क्षमता का ब्योरा देना होगा। खाद्य नियंत्रण अधिनियम के तहत अब खुदरा व्यापार के लिए भंडारण सीमा तय की जाएगी। थोक व्यापार करने वाले अधिकतम 30 दिनों से अधिक समय तक स्टाक को बाधित नहीं रख सकेंगे। जो दलहन आयात करेंगे उसे 30 दिनों के भीतर बिक्री के लिए गोदाम से निर्गत करना होगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 3.11.2015)**

बिहार की बरेली बनेगी कोसी

कास-पटेर से आच्छादित कोसी इलाके की जब भी बात आएगी तो माछ-मखान व बांस से समृद्ध इतिहास की चर्चा तो होगी ही। बांस यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। मांगलिक कार्य से लेकर शवयात्रा तक में बांस का उपयोग होता है। कोसी के आर्थिक समृद्धि को ले सरकार भी प्रयत्नशील है। 9 सितम्बर 2015 को सुपौल जिला मुख्यालय स्थित बीएसएस कालेज परिसर में टीशू कल्चर लैब की आधारशिला रखी है। टीशू कल्चर लैब के तैयार हो जाने के बाद बिहार का बरेली बन जाएगा कोसी का इलाका।

बांस की खेती करेगी पर्यावरण संतुलन की भरपाई : घास कुल के सबसे लंबे पौधे बांस कई मायने में पर्यावरण संतुलन के लिए भी जरूरी है। पीपल के बाद बांस ही एक ऐसा पौधा है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। इलाके में बांस की खेती बढ़ेगी तो पर्यावरण संतुलन भी होगा और बांस उत्पादकों के आर्थिक उन्नति के द्वार भी खुलेंगे।

टीशु कल्चर लैब खोलेगा आर्थिक समृद्धि के द्वार : इलाके के बांस उत्पादक किसान समृद्ध हो और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो इसको ले सरकार भी प्रयत्नशील है। 9 सितम्बर 2015 को सूबे के वित्त वाणिज्य कर एवं उर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव एवं भवन निर्माण मंत्री दामोदार राउत सुपौल पहुंचकर बीएसएस कॉलेज परिसर में टीशु कल्वर लेब की आधारशिला रखी। लैब के मूर्त रूप में आने के बाद यहाँ के बास की भी लंबाई, मोटाई व गुणवत्ता अच्छी होगी, यहाँ के बांस की मांग होगी और बांस उत्पादक खुशहाल होंगे।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.11.2015)

मेट्रो को पटरी पर लाने की तैयारी शुरू

नगर विकास विभाग ने शुरू की पहल, जून तक जारी करना है टेंडर

पटना मेट्रो रेल परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए अब नगर विकास विभाग ने पहल आरंभ कर दी है। नयी सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस पर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। राइट्स द्वारा सौंपी गयी डीपीआर पर अमल किया गया, तो जून 2016 में इसका टेंडर निकाल दिया जायेगा। इसके पहले राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार की मंजूरी लेनी है।

पटना मेट्रो की खास बातें : • राज्य सरकार ने पहले चरण में पटना मेट्रो के दो कोरिडोर पर काम आरंभ करने की योजना बनायी है। इसमें इस्ट-वेस्ट कोरिडोर और नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर। इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई 13.86 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर की लंबाई 14.2 किलोमीटर है • इस्ट-वेस्ट कारिडोर में 13 मेट्रो के स्टेशन होंगे, जिनमें दानापुर, सगुनामोड़, आरपीएस मोड, पाटलिपुत्रा रुकनपुरा, राजाबाजार, गोल्फ क्लब, पटना जू, विकास भवन, हाइकोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर, पटना जंक्शन और मीठापुर। इस रूट में दानापुर से आरपीएस मोड़ तक उपरिपथ, जबकि पाटलिपुत्रा से जंक्शन तक भूमिगत रेल का निर्माण किया जाना है • नॉर्थ-साउथ कारिडोर में स्टेशन के बाद अकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, प्रेमचंद्र रंगशाला, राजेन्द्र नगर, एनएमसी, कुम्हरार, गाँधी सेतु , जीरो माइल और न्यू बस पड़ाव में मेट्रो स्टेशन तैयार करना है। इस रूट में पटना जंक्शन से पीएमसीएच तक उपरिपथ, पटना विश्वविद्यालय से राजेन्द्र नगर तक भूमिगत और एनएमसी से नया बस पड़ाव तक उपरिपथ का निर्माण किया जाना है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 13.11.2015)

बहुरेंगे बिहार के रेल कारखानों के दिन

केन्द्र सरकार ने किया भागीदारों का एलान

• मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको बनाएगी फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम • मढ़ौरा में डीजल लोको के निर्माण का जिम्मा अमेरिका की जीई को

केन्द्र सरकार ने बिहार के मधेपुरा और मढ़ौरा लोको कारखानों के लिए निजी भागीदारों का एलान कर दिया है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम के खाते में गई है, जबकि मढ़ौरा डीजल लोको कारखाने के लिए अमेरिका की जीई का चयन किया गया है।

मधेपुरा के लिए अंतिम दौर में तीन और मढ़ौरा की खातिर दो कंपनियों के बीच होड़ थी। इसमें अंतत: अल्स्टॉम की भारतीय यूनिट अल्स्टॉम मैन्यू-फैक्चरिंग इंडिया और जीई की सहयोगी जीई ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया ने बाजी मारी। अब इनेक साथ संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। इनमें रेलवे की केवल 26 फीसद इक्विटी हिस्सेदारी रहेगी। दोनों कारखानों की पूर्ण स्थापना के बाद बिहार में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मधेपुरा कारखाने में 1,300 करोड़ रुपये के निवेश से 11 वर्ष की अवधि में 12 हजार हॉर्सपावर के 800 इलेक्ट्रिक लोको का निर्माण होगा। अल्स्टॉम ने कम से कम 19, 000 करोड़ में इनकी आपूर्ति का वादा रेलवे से किया है। इस प्रोजेक्ट की मूल लागत 1,300 करोड़ रुपये थी। लेकिन अब यह बढ़कर 1,860 करोड़ रुपये हो गई है। यहाँ 12000 हॉर्सपावर वाले इलेक्ट्रिक लोको बनेंगे। शुरू में पाँच लोको का आयात होगा, बाद में 795 लोको मधेपुरा में बनेंगे। सौ किमी गति से चलने में सक्षम इन लोको का प्रयोग डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर में होगा। अभी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में 6000 हॉर्सपावर तक के इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की क्षमता है। मधेपुरा कारखाने के लिए 1, 117 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। मढ़ौरा में अगले तीन सालों में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से डीजल लोको कारखाने की स्थापना होगी। जीई ने 11 सालों में रेलवे को कम से कम 14, 656 करोड़ की कुल लागत पर एक हजार डीजल लोको की आपूर्ति का वादा किया है। इनमें 700 लोको 4500 हॉर्सपावर और 300 लोको 6000 हॉर्सपावर के होंगे। अभी डीएलडब्ल्यू वाराणसी में 5500 हॉर्सपावर तक के डीजल लोको बनते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.11.2015)

रेलवे टिकट रिफंड कराना हो जायेगा महंगा, दोगुने की 'चपत'

रेलवे टिकट रिफंड के नये 12.11.2015 से लागू हो जायेंगे। यात्रियों को 48 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द कराने पर सामान्य शुल्क के साथ टिकट रिफंड होगा। गाड़ी खुलने के पहले छह से 48 घंटे के अंदर टिकट रद्द कराने पर किराये की 25 फीसदी राशि काट ली जायेगी। इसी तरह गाड़ी खुलने के दो से लेकर छह घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 50 फीसदी किराया ही वापस होगा। गाड़ी खुल जाने के बाद न तो टिकट रिफंड होगा न ही किराया वापस हो सकेगा। रेल बजट 2013-14 में बढोत्तरी की गयी थी।

पहले 24 घंटे पहले तक रिफंड की थी सुविधा: यात्रियों को पहले 24 घंटे पहले तक टिकट रिफंड करने की सुविधा थी, जिसे बढ़ा कर अब 48 घंटे कर दिया गया है। पहले नियम था कि गाड़ी की रवानगी के 24 से लेकर चार घंटे पहले तक 25 प्रतिशत तथा चार घंटे पहले से रवानगी के तीन घंटे बाद तक 50 प्रतिशत किराया काट कर रिफंड राशि मिल जाती थी।

आरएसी व वेटिंग टिकट आधा घंटा पहले कराने होंगे कैंसिल : आरएसी और वेटिंग के टिकट ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक ही रद्द कराना होगा। आधा घंटा पहले तक रद्द कराने पर किराये का बड़ा हिस्सा काट लिया जायेगा। हालांकि जिन स्टेशनों पर चालू आरक्षण काउंटर नहीं है, वहाँ से रात नौ सुबह छह बजे के बीच रवाना होनेवाली गाड़ी की दशा में आरक्षण काउंटर खुलने के दो घंटे के अंदर टिकट रद्द कराने पर भी रिफंड राशि मिल सकेगी। नये नियमों के अनुसार परिवार या समूह में यात्रा के लिए बुकिंग करानेवाले लोगों के टिकट में यदि कुछ बर्थ कंफर्म हो जाये और कुछ प्रतीक्षा सूची में रह जाये और अगर परिवार या समूह ऐसी दशा में यात्रा नहीं करना चाहे, तो टिकट रद्द कराने पर उन्हे सभी कंफर्म व प्रतीक्षा सूची सीटों पर पूरे किराये का रिफंड मिल सकेगा। चाहे उनका टिकट सामान्य श्रेणी का हो या तत्काल श्रेणी का।

स्टेशन मास्टर भी रद्द कर सकेंगे टिकट : टिकट यात्रियों को रेलवे ने टिकट रद्द कराने के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अगर किसी कारणवश यात्री अपना टिकट साधारण या आरक्षित खिड़की से रद्द नहीं करा सके हैं, तो वह स्टेशन मास्टर से भी टिकट रह करा सकते है। स्टेशन मास्टर से टिकट रद्द कराने के लिए चार्ट बनने से पहले आना होगा।

खोये टिकटों पर रिफंड नहीं : खो गये या कट-फट गये टिकटों के मामले में भी रेलवे ने कड़ाई बरती है। खो गये टिकटों पर कोई रिफंड नहीं दिया जायेगा, जबकि कटे-फटे टिकटों पर रिफंड मिलेगा, बशर्ते उसमें विवरण साफ दिखाई देता हो। आरक्षण चार्ट बनने से पहले कटे-फटे कंफर्म और आरएसी टिकटों पर स्टेशन मास्टर डुप्लीकेट टिकट बनायेंगे। शयनयान श्रेणी के लिए 50 व अन्य श्रेणी के लिए 100 रुपये प्रति यात्री शुल्क लिया जायेगा। प्रतीक्षा सूचीवाले टिकटों का डुप्लीकेट टिकट नहीं दिया जायेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 11.11.2015)

हर वर्ष अरबों की गलत कमाई से रेलवे हो रहा मालामाल, गुणक में वसूला जा रहा किराया

रेल टिकटों के आरक्षण में जेब पर चपत

रेलवे टिकट खरीदते समय किराए में एक रुपए कम हो जाए तो काउंटर से आपको लौटना पड़ेगा। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपसे प्रति आरक्षित टिकट पर रेलवे एक से चार रुपए तक अतिरिक्त कमाई कर रहा है। उदाहरण के लिए संपूर्ण क्रांति की एसी 2 में राजेन्द्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली का किराया 1881 रुपए है लेकिन रेलवे आपसे 1885 रुपए वसूलती है। पटना से बेंगलुरु संघमित्रा के सेकेंड एसी में 3329 की जगह 3330 रुपए, 3 एसी में 2247 की जगह 2250 रुपए, स्लीपर में 863 की जगह 865 रुपए की वसूली की जा रही है। यह हाल केवल पूर्व मध्य रेल का ही नहीं, किसी एक शहर से दूसरे शहर के रेल किराए का भी है।

प्रति पैसेंजर साल भर में हो रही कमाई का गणित देश भर की ट्रेनों में अरबों में पहुँच रहा है। इसका खुलासा रेलवे की ओर से स्वच्छ भारत सेस लगाने के बाद किराए की जाँच में हुआ है।

पाँच के गुणक में हो रही कमाई : रेलवे की इस कमाई में पांच के

गुणक का इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के लिए राजेन्द्र नगर से संपूर्ण क्रांति के सेंकेंड एसी का किराया देखें। कुल 1881 राशि आने पर रेलवे सीधे 1885 रुपए वसूल करती है। यानी शून्य से जैसे ही राशि अधिक हुई, अंक पाँच पर पहुँच जाता है।

"रेलवे में पाँच के गुणक में किराए के प्रावधान होने से ऐसा होता है। देशभर से भाड़े का स्लैब ऐसे ही निर्धारित है। सारी गणनाएँ कंप्यूटराइज्ड हैं।

– अरविन्द कुमार रजक, सीपीआरओ, पूमरे

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.11.2015)

जनवरी - 2016 से छह ट्रेनों के टर्मिनल बदलने की तैयारी

ट्रेनों को समय से चलाने को लेकर दानापुर रेल मंडल गंभीर है। एक जनवरी 2016 से छह जोड़ी ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव किया जाएगा। कुछ ट्रेनों को दानापुर से राजेन्द्र नगर, राजेन्द्र नगर से दानापुर और कुछ ट्रेनों को पाटलिपुत्र टर्मिनल शिफ्ट किया जाना है। इससे ट्रेनों का परिचालन और सुगम होगा। अभी तक पिछले 25 मई और एक सितम्बर से चार जोड़ी गाड़ियों के टर्मिनल में बदलाव किया गया, इससे पटना के आसपास के स्टेशनों पर गाड़ियों का अनावश्यक रुकना बंद हुआ है। दानापुर मंडल के पीआरओ रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि झाझा में दिसम्बर और दानापुर में मार्च 2016 तक आर आर आई का कार्य किया जाना है जिससे समय पालन में और सुधार होगा।

इन कारणों से हुआ सुधार : • रेलवे ट्रैक के रखरखाव के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेगा ब्लॉक • मंडल में सभी ट्रेनों की तथा खासकर बिहटा से फतुहा के बीच ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है • मंडल के सभी अधिकारी बारी-बारी से पटना जंक्शन पर कैंप कर ट्रेनों के परिचालन की मॉनिटरिंग कर रहे है • मॉनिटरिंग से पटना और आसपास के स्टेशनों पर ट्रेनों के अनावश्यक रुकने के कारणों का पता लगाया जा सकेगा • खुसरुपुर में डाउन लूप लाइन की व्यवस्था की गई • बेहतर परिचालन के लिए फतुहा में केबिन के स्थान पर सेंट्रल पैनल कार्य करने लगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.11.2015)**

आपकी प्रॉपर्टी अब नहीं होगी किसी और के नाम

आपकी संपत्ति अब फर्जी तरीके से किसी और के नाम नहीं हो सकेगी। पटना नगर निगम ने अपनी ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करनेवाली वेबसाइट पी. टैक्स व्यवस्था में सुधार कर लिए हैं।

नाम परिवर्तन कोड अब उसी व्यक्ति के मोबाइल पर जाएगा, जिसका नाम और नंबर संपत्ति के मूल दस्तावेज पर पहले से अंकित होगा। कोई भी नया नंबर तभी दर्ज होगा, जब संपत्तिधारक स्वयं निगम कार्यालय में उपस्थित होकर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

मालूम हो कि अखबार हिन्दुस्तान ने 16 अक्टूबर को प्रकाशित अंक में ऑनलाइन टैक्स भुगतान प्रणाली की खामियों को प्रमुखता से उजागर किया था। इस प्रणाली की खामियों का लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति घर बैठे दूसरे की संपत्ति को अपने नाम कर सकता था। बांकीपुर और कंकड़बाग के कुछ टैक्स क्लेक्टरों द्वारा बड़ी राशि वसूल कर अवैध म्यूटेशन करने की शिकायत भी हिन्दुस्तान को मिली थी। खबर छपने के बाद नगर आयुक्त जय सिंह ने खामियों की जांच की व इसे सही पाया। इसके बाद वेबसाइट संचालन करनेवाली एजेंसी को सुधार करने को कहा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.11.2015)**

वसीयत की संपत्ति पर नैतिक अधिकार का अहम फैसला

जिनके पति नहीं रहे, उन्हें वसीयत में मिली संपत्ति पर पूरी तरह से नैतिक अधिकार का अहम फैसला पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। यह उन कई महिलाओं के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो परिवार से निकाली जा चुकी हैं और संपत्ति होने के बाद भी दुर्दशा को भुगत रही हैं। **(विस्तृत: दैनिक भास्कर,19.11.2015)**

भूल सुधार

31 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित बीसीसीआई बुलेटिन का क्रमांक भूलवश 17 की जगह 16 मुद्रित हो गया है। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि क्रमांक 16 को 17 पढ़ें। सदस्यों को हुई असुविधा हेतु खेद है।

सफाई के लिए निगम का 'प्लान जे'

लोगों को जागरूक करें, जवाबदेही निभाएं नहीं तो भरना होगा जुर्माना

शहर की सफाई के लिए निगम ने प्लान जे तैयार किया है। प्लान जे यानी जागरुकता, जवाबदेही नहीं तो जुर्माना भुगतने को तैयार रहें। इसके तहत निगम द्वारा कचरा उठाने के लिए निर्धारित समय से पहले कचरा फेंकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों से अपील की जाएगी कि निगम द्वारा कचरा उठाने के बाद सड़क पर कचरा न फेंकें। हर दिन कचरे का उठाव हो इसकी जवाबदेही निगम पदाधिकारी से लेकर सफाई निरीक्षक तक की होगी और अगर अपनी जिम्मेवारी ठीक से निगमकर्मी नहीं निभाते हैं तो जुर्माने के तौर पर उनका वेतन रोक दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह सख्त आदेश नगर आयुक्त जय सिंह ने सभी 72 वार्ड के सफाई निरीक्षकों को दिया है। कहा है कि हर दिन कूड़ा प्वाइंटों से कचरे का उठाव होना अनिवार्य है।

डिस्प्ले बोर्ड से समय पर कचरा फेंकने की होगी अपील : नगर निगम क्षेत्र में अब निगम डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से लोगों को कूड़ा उठाव के समय की जानकारी देगा। कूडा उठाव की समय सीमा कूड़ा प्वाइंट पर ही डिस्पले बोर्ड या डस्टबिन के ऊपर लिखा होगा। लोगों को जागरूक करने और कचरा उठाव के बाद कचरा नहीं फेंकने की अपील इसके माध्यम से की जाएगी।

कूड़ा उठाव की जानकारी के लिए कम्युनिकेशन प्लान : कूड़ा प्वाइंट से हर दिन कचरे का उठाव हो रहा है या नहीं इसकी जांच के लिए एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाएगा। कूड़ा प्वाइंट के पास के तीन से चार दुकानदारों या गृहस्वामियों का मोबाइल नंबर लिया जाएगा। इन लोगों से मोबाइल पर बात कर पूछा जाएगा कि कूड़े का उठाव समय पर हुआ या नहीं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 19.11.2015)

दोपहर बाद कूड़ा फेंका तो जुर्माना

दोपहर एक बजे के बाद घर से बाहर कूड़ा फेंकने वालों से नगर निगम अब जुर्माना वसूल करेगा। यह निर्देश नगर आयुक्त जय सिंह ने तमाम सफाई निरीक्षकों को दिया है। उन्होंने सभी कूड़ा प्वाइंट पर कूड़ा उठाव का समय निर्धारित करने व नियत समय पर कूड़ा का उठाव करने का निर्देश दिया। इसके बाद कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। उन्होंने नगर निगम के अधीन चलने वाले तमाम निजी वाहनों में 10 नवम्बर तक जीपीएस लगाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया। वे बांकीपुर अंचल कार्यालय में कंकड़बाग व बांकीपुर अंचल के सफाई निरीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। **(साभार : दैनिक जागरण, 7.11.2015)**

गंदगी फैलाने वाले रेस्टोरेंट का लाइसेंस होगा कैंसिल

अब रेस्टोरेंट की गंदगी सड़क पर फेंकने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अब कमाई भी और कचरा को जहाँ तहाँ फेंकने का तरीका नहीं चलेगा। उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अब शहर के हर रेस्टोरेंट को अनिवार्य रूप से डस्टबीन रखना पड़ेगा और फिर इसका सारा कचरा निगम की कचरा फेंकने वाली गाड़ी को सुपुर्द करना होगा। नूतन राजधानी अंचल प्रशासन ने कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है। अभी तो छोटे मोटे दुकानों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना किया जा रहा है।

पाँच सौ से हजार तक लगता है जुर्माना : अभी छोटे दुकानों पर गंदगी फैलाने वालों पर पाँच से एक हजार रुपया तक जुर्माना लगता है। शुक्रवार को निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। इसके पहले छह हजार और साढ़े सत्रह हजार रुपया वसूला जा चुका है। यह क्रम आगे भी लगातार चलता रहेगा। निगम सूत्रों के अनुसार निगम प्रशासन अभी जुर्माना वसूलने के बाद फोटोग्राफी भी करा रहा है। यदि वहाँ फिर से कचरा फैलाने का मामला आया तो जुर्माने की राशि पाँच गुना तक बढ़ जायेगी।

कड़ी कार्रवाई की जायेगी : अभी सभी गंदगी फैलानेवाले बड़े होटलों, रेस्टोरेंट पर हमारी नजर है। बड़े कारोबारी अपनी गंदगी सड़क पर फेंक कर हमारी सारी योजनाओं को फ्लॉप कर देते हैं। अब ऐसे में हमने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। गंदगी फैलाने पर लाइसेंस तक रद्द कर दिया जायेगा।

– विशाल आनंद, कार्यपालक अभियंता

(साभार : प्रभात खबर, 7.11.2015)

दावा अस्वीकार होने से बचने के लिए बनें जिम्मेदार

कई लोगों को मोटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीमित जानकारी होने की वजह से मोटर बीमा के अस्वीकार हो जाने का सामना करना पड़ता है।

बीमा की प्रक्रिया सद्भावना के सिद्धांत पर काम करती है और रिस्क कवर जारी करने से पहले आवश्यक तथ्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा आपके दावे को निरस्त न किया जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको कुछ गतिविधियों या पहलुओं से बचना चाहिए।

आरसी और पॉलिसी में सीएनजी किट के अतिरिक्त इंस्टॉलेशन को इंडोर्स नहीं किया जाना : तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि के साथ हमने इसकी लागत को कम करने के लिए सीएनजी और एलपीजी जैसे वैकल्पिक फ्यूल किट को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। अगर आरसी और पॉलिसी कॉपी में फ्यूल किट को इंडोर्स नहीं किया गया है तो बीमा कंपनी दावे को निरस्त कर सकती है।

प्राइवेट गाड़ी का कॉमर्शियल उपयोग : अगर किसी प्राइवेट वाहन का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा तो बीमा कंपनी दावे को निरस्त कर देगी।

निरीक्षण से पहले रिपयेर की शुरुआत: क्षतिग्रस्त वाहन पर काम की शुरूआत होने से पहले बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा आपके वाहन का निरीक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है।

वाहन की ओवरलोडिंग: यदि दुर्धटना के समय बीमित वाहन पर स्वीकार्य सीमा से ज्यादा लोड हुआ तो दावे को खारिज किया जा सकता है।

कोई बीमा ब्याज नहीं : यह ऐसे मामलों पर लागू होता है यहाँ आरसी और पॉलिसी पहले ओनर के नाम पर रहती है और वाहन को दूसरे ओनर को बेच दिया गया रहता है लेकिन दुर्घटना के समय पॉलिसी ट्रांसफर नहीं हुई रहती है।

दावा खारिज होने के उपरोक्त कारणों के अलावा नुकसान के समय वाहन चालक का शराब के नशे में होने का दोषी पाया जाना और ड्राइविंग लाइसेंस के न होने पर बीमा कंपनी के पास दावे को अस्वीकार करने का अधिकार होता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.11.2015)

मृत्यु प्रमाणपत्र पर भी दर्ज होगा जीवनसाथी का नाम

मृत्यु प्रमाणपत्र (डेथ सर्टिफिकेट) पर अब जीवनसाथी का नाम भी दर्ज होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाह पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के मुताबिक, पति के मृत्यु प्रमाणपत्र पर पत्नी और पत्नी के मृत्यु प्रमाणपत्र पर पति का नाम दर्ज होने से काफी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.11.2015)

पटना होगा भिखारी मुक्त

दान नहीं सम्मान अभियान की होगी शुरुआत

अब पटना को भिखारी मुक्त राजधानी बनाया जायेगा, समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत अब राजधानी में भिक्षावृत्ति कार्यों में लगे लोगों के बीच अभियान चलाया जायेगा, ताकि लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति मिल सके।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इकाई सक्षम की ओर से 'दान नहीं सम्मान' कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत वैसे इलाकों को चिह्नित किया गया है जहाँ बूढ़े, बच्चे व महिलाएं भिक्षावृत्ति कर जीवन-यापन कर रहे हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 17.11.2015)

कॉल ड्रॉप पर देना ही होगा जुर्माना

कॉल ड्रॉप पर प्रस्तावित जुर्माने से परेशान टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से राहत मिलने के आसार नहीं है। ट्राई ने मोबाइल ऑपरेटरों के इस दावे को खारिज कर दिया है कि कॉल ड्रॉप पर जुर्माने लगाने की वजह से इन पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा दूरसंचार आयोग ने भी ट्राई के कदम को सही माना है। नियामक से निराश होने के बाद मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियां अब संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के यहाँ गुहार लगाने की तैयारी में हैं। हालांकि, वहां से भी उन्हें कोई राहत मिलने के आसार नहीं है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 17.11.2015)

दो वर्षों से वन भूमि मिलने की राह देख रहे हैं 12 पेट्रोल पंप

बिहार में पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट खोलने को पेट्रोलियम विभाग ने दो वर्ष पहले ही स्वीकृति दे दी, किंतु वन पर्यावरण विभाग से वन भूमि और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से 12 पंप नहीं खुल पा रहे हैं। पेट्रोल पंप आउटलेट खोलने के लिए वन पर्यावरण विभाग ने केन्द्रीय वन विभाग को अनुशंसा तो भेजी है, किंतु वन भूमि मुहैया कराने में दो-से-तीन वर्ष तक का वक्त ले रहा है। केन्द्रीय वन विभाग की इस शिथिलता के कारण बिहार में 12 पंप नहीं खुल पा रहे हैं, तीन वर्ष में मात्र समस्तीपुर और बेगूसराय में दो पेट्रोल पंप आउटलेट खोलने की इजाजत मिली है।

वन पर्यावरण विभाग ने समस्तीपुर के पूसा कल्याणपुर पथ के किनारे और बेगूसराय में गढ़पुरा-मालीपुर-हसनपुर पथ पर दो आइओसी और बीपीसीएल के आउटलेट खोलने के लिए क्रमश: 0.12 और 0.15 हेक्टेयर वन भूमि मुहैय्या कराने की स्वीकृति दी है, समस्तीपुर में आइओसी और बेगूसराय में बीपीसीएल का रिटेल आउटलेट खोलने के लिये वन भूमि मुहैय्या कराने के लिये चार जुलाई, 2013 को ही आवेदन दिये गये थे, किंतु उसकी स्वीकृति अब जा कर मिली है। समस्तीपुर के पूसा कल्याणपुर पथ के किनारे और बेगूसराय में गढ़पूरा -मालीपुर-हसनपुर पथ के किनारे एक माह बाद ही दोनों कंपनियों के रिटेल आउटलेट खुल पायेंगे।

(साभार : प्रभात खबर, 8.11.2015)

FIRMS CAN NOW SELL PRODUCTS DIRECTLY THROUGH ONLINE PORTALS

NEW PULES Sourcing norms can also be relaxed with government's approval

In a big push to the country booming e-commerce sector, the government allowed wholesalers to enter single- brand retailing and also hawk their own products directly to customers using online portals. This will likely open up India's estmated $30-billion organised retail market to global giants such as Amazon to push their proprietary products like kindle e-reader.

The reforms announced also included allowing a manufacturer to sell products directly through online gateways. Effectively it gives the option to consumer giants such as Samsung. Xiaomi, and others to set up their own online retail networks.

(Details : Hindustan Times, 11.11.2015)

10 लाख रु. से ज्यादा आय वालों को गैस सब्सिडी नहीं

दस लाख रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी वालों को रसोई गैस सब्सिडी बंद हो सकती है। शहरी विकास और संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भी कहा कि ज्यादा आमदनी वालों को गैस सब्जिडी बंद करने पर विचार होना चाहिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में नायडू ने कहा, 'जिनकी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें सब्सिडी की क्या जरूरत है? मंत्रियों को क्यों सब्सिडी चाहिए?

वहीं पेट्रोलियम मंत्री ने कोलकाता में सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि सक्षम उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। देशभर में 46 लाख रसोई गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 15.11.2015)

वीजा के लिए बदल लें बुकलेट वाला पासपोर्ट

मशीन से अपठनीय पासपोर्ट बुकलेट को 24 नवम्बर से पहले बदलवा लें। अन्यथा, 25 नवम्बर से विदेश जाने के लिए वीजा नहीं मिल सकेगा। केन्द्र सरकार ने 2001 से इस श्रेणी के पासपोर्ट जारी करना बंद कर दिया था। 20 वर्ष के लिए जारी पासपोर्ट मशीन द्वारा अपठनीय है। ऐसे पासपोर्ट को समयबद्ध तरीके से बंद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने 24 नवम्बर समय सीमा तय की है। इसके बाद 25 नवम्बर से भारतीय नागरिक हस्तलिखित पासपोर्ट के माध्यम से वीजा नहीं ले सकेंगे। सरकार की ओर से जारी किए गए हस्तलिखित पासपोर्ट पर फोटो चस्पा रहता था। पासपोर्ट अधिकारी शत्रुध्न सिन्हा ने बताया कि अपठनीय बुकलेट वाला पासपोर्ट शीघ्र बदलवा लें। विदेश जाना है तो विलंब न करे अन्यथा वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.11.2015)

भारत का राजपत्र
THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2015 / कार्तिक 15, 1937
No. 690] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2015/KARTIKA 15, 1937

MINISTRY OF FINANCE
(Department of' Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi. the 6th November, 2015
No. 21/2015-Service Tax

G.S.R. 842(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government hereby appoints the 15th day of November, 2015 as the date with effect from which the provisions of Chapter VI of the said Act, shall come into force.

[F. No. 354/129/2015-TRU]
K. KALIMUTHU, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 6th November, 2015
No. 22/2015-Service Tax

G.S.R. 843(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with sub-section (5) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all taxable services from payment of such amount of the Swachh Bharat Cess leviable under sub-section (2) of section 119 of the said Act, which is in excess of Swachh Bharat Cess calculated at the rate of 0.5 percent of the value of taxable services:

Provided that Swachh Bharat Cess shall not be leviable on services which are exempt from service tax by a notification issued under sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 or otherwise not leviable to service tax under section 66B of the Finance Act, 1994.

This notification shall come into force from the 15th day of November, 2015.

[F. No. 354/129/2015-TRU]
K. KALIMUTHU, Under Secy.

सात दिनों से भी कम में मिलेगा पासपोर्ट

आवेदन के बाद पासपोर्ट अब 7 से 10 दिन के अंदर हासिल हो जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट विभाग ने एक खास पुलिस वैरिफिकेशन एप लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

ऐसा एप फिलहाल हैदराबाद में है, उसे ही विस्तृत रूप देते हुए देशभर में लागू किया जा रहा है। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में इसे आम लोगों के लिए लांच कर दिया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.11.2015)**

पीएफ फंड से रहें अप-टू-डेट

भविष्य निधि कर्मचारी संगठन की ओर से पीएफ फंड की अद्यतन जानकारी देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। संगठन की वेबसाइट पर जाकर अपना ई-पासबुक भी खोल सकते हैं। 7738299899 पर एसएमएस कर के भी अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करके ई-पासबुक खोल सकते हैं। इसकी जानकारी भविष्य निधि कर्मचारी संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त एस. के. झा ने अंशदाताओं और अंशधारकों को 'निधि आपके निकट-निधि आपके पास' कार्यक्रम में दी।

एस. के. झा ने बताया कि ई-पासबुक खुल जाने के बाद पीएफ फंड की राशि से अवगत रहेंगे। एक कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाने पर भी घर बैठे पीएफ फंड की राशि को हस्तांतरित कर सकते हैं। कहा कि प्रत्येक माह की दस तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित कर अंशदाताओं की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उनके विचारों एवं सुझाओं को भी रेखांकित किया जा रहा है। जिससे भविष्य में उन्हें आधार बना सकारात्मक पहल की जा सके। नियोक्ताओं को समस्याएं उठाने का मौका इस कार्यक्रम में दिया जाता है। पेंशन से जुडीं शिकायतें इस कार्यक्रम में ऑन द स्पॉट निबटाई जाती हैं। अंशदाता और ट्रेड यूनियनें सुबह 10.30 बजे से 1.00 बजे तक नियोक्ता व नियोक्ता संघ दोपहर तीन बजे से चार बजे तक तथा क्षेत्राधिकार में अवस्थित छूट प्राप्त संस्थान शाम चार बजे से पाँच बजे के बीच अपनी बात रख सकते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.11.2015)

आपातकाल में इन नंबरों पर करें संपर्क

सीनियर एसपी	: 9431822967	सदर एसडीपीओ	: 9431800119
सिटी एसपी (मध्य)	: 9431822969	दानापुर एसडीपीओ	: 9431800116
सिटी एसपी (पूर्वी)	: 9473400336	पटना सिटी एसडीपीओ	: 9431800118
सिटी एसपी (पश्चिम)	: 9473400335	फुलवारीशरीफ एसडीपीओ	: 9470001381
ग्रामीण एसपी	: 9431822968	फतुहा एसडीपीओ	: 9470001382
ट्रैफिक एसपी	: 9431822970	बाढ़ एसडीपीओ	: 9431800117
विधि-व्यवस्था डीएसपी	: 9431818398	पालीगंज एसडीपीओ	: 9431800114
सचिवालय डीएसपी	: 9431818399	मसौढ़ी एसडीपीओ	: 9431800115
टाउन एसडीपीओ	: 9431818400		

पुलिस कंट्रोल रूम : 0612-2201975, 2201977, 2201978, 2219131 एवं 100
महिला थाना : 9470001390, 9471006592

गन्ना किसानों को सीधे सब्सिडी

सरकार ने गन्ना किसानों को 2015-16 सीजन में 4.50 रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन संबद्ध सब्सिडी सीधे देने का फैसला किया। सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों को बकाया भुगतान में मदद के लिए उठाए गए इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 1,147 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। उल्लेखनीय है कि खुदरा बाजारों में चीनी की गिरती कीमतों के कारण चीनी मिलें नकदी संकट से जूझ रही हैं। मिलों पर गन्ना किसानों का लगभग 6,500 करोड़ रुपये बकाया है। बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने सीसीईए की बैठक के बाद यह जानकारी दी।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.11.2015)

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296